

7.



190

महाराष्ट्र शासन,
आदिवासी विकास विभाग

कातकरी जमातीसाठी इंदिरा आवास / घरकुल
योजनेतर्गत किंती कुटुंबांना लाभ मिळाला -
मूल्यमापन अहवाल




२००६-०७

आयुक्त,
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे ४११ ००१

अनुक्रमणिका

| अ.क्र. | तपशील | पृष्ठे | |
|--------|------------------|--------------------------|--------|
| | | पासून | पर्यंत |
| १ | प्रस्तावना | १ | - |
| २. | प्रकरण क्रमांक १ | इंदिरा आवास /घरकुल योजना | २ |
| ३ | प्रकरण क्रमांक २ | मूल्यमानाचा उद्देश | ६ |
| ४. | प्रकरण क्रमांक ३ | कार्यपद्धती | ७ |
| ५. | प्रकरण क्रमांक ४ | क्षेत्रीय पाहणी | ११ |
| ६. | प्रकरण क्रमांक ५ | सारांश | ४० |
| ७. | प्रकरण क्रमांक ६ | अडचणी व शिफारशी | ४२ |
| ८. | प्रकरण क्रमांक ७ | निष्कर्ष | ४५ |
| | | परिशिष्ट | ४७ |
| | | प्रपत्र | ४९ |
| | | | ५२ |




प्रस्तावना

दारिद्र्य निर्मुलनासाठी शासनामार्फत विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेगवेगळ्या विभागाकडून राबविण्यात येतात. त्यामध्ये ग्रामीण विकास विभागाकडून जिल्हास्तरावर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी इंदिरा आवास घरकुल ही योजना राबविली जाते. तर आदिवासी विकास विभागाकडून कातकरी या अतिमागास जमातीसाठी १०० टक्के अनुदानावर कातकरीसाठी घरकुल योजना ही सेजना राबविली जाते. या दोन्ही योजनेचा कातकरी या अतिमागास जमातीतील किती कुटुंबांना फायदा झाला आहे, हे पाहण्यासाठी व मूल्यमापनासाठी या योजनेची निवड करण्यात आली.

सदर मूल्यमापन पाहणीचे क्षेत्रीय काम श्री.के.एस.चव्हाण, सांख्यिकी अधिकारी, श्री.पं.बा.कुदके, संशोधन सहाय्यक, श्री.एस.आर.तरकसबंद, श्री.जी.सी.लोंडे, संशोधन सहाय्यक व श्री.आर.एस.पवार, अन्वेषक यांनी पूर्ण केले असून मूल्यमापन अहवाल लिहिण्याचे काम श्री.के.एस.चव्हाण, सांख्यिकी अधिकारी यांनी श्री.एस.डी.बिराजदार, उपसंचालक (एक्षेविका) यांचे मार्गदर्शनाखाली पूर्ण केले आहे. अहवाल संगणकीय टंकलेखनाचे (डी.टी.पी.) काम श्री.किरण कुडे, लघुटंकलेखक यांनी केले आहे. तसेच क्षेत्रीय पाहणीच्या वेळी या योजनेचे मूल्यमापन दृष्ट स्वरूपात होण्याच्या दृष्टीकोनातून श्री.आर.व्ही.रघतवान, कॅमेरामन यांनी चित्रीकरण व छायाचित्रण केले आहे.

सदर मूल्यमापन अहवाल इंदिरा आवास घरकुल योजनेची आखणी व अंमलबजावणी करणारे अधिकारी/कर्मचारी तसेच आदिवासी विकास विभागातील संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना उपयोगी पडेल, अशी अपेक्षा आहे.

ठिकाण- पुणे
दिनांक- ३०/१२/०६

(
(डॉ. शरद किनकर)

आयुक्त,
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे १

प्रकरण -१

इंदिरा आवास घरकुल योजना

दारिद्र्य रेखेखालील ग्रामीण भागातील बेघर लोकांना निवारा उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. योजनेअंतर्गत ६० टक्के घरकुले अनुसूचित जाती/जमातीसाठी राखीव असतात. तर ४० टक्के घरकुले ही इतर लाभार्थ्यांसाठी असतात. घरकुल बांधतेवेळी शौचालये बांधणे आवश्यक असून घरकुलामध्ये निर्धुर चुली बसविणे आवश्यक आहे.

(अ) योजनेची विस्तीर्ण रूपरेषा

- (१) **उद्देश :-** इंदिरा आवास योजनेचा प्राथमिक उद्देश अनुसूचित जाती/जमाती, मुक्त वेठबिगार व दारिद्र्य रेखेखालील गरीब लोकांना निवासी घरांचे बांधकाम करण्यासाठी आर्थिक मदत देणे हा आहे.
- (२) **निधीचे स्वरूप :-** इंदिरा आवास ही केंद्रीय योजना असून या योजनेचा निधी हा केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्याकडून ७५:२५ या प्रमाणात उपलब्ध होतो. केंद्रशासित प्रदेशाचे बाबतीत सर्व निधी हा केंद्र शासनाकडून उपलब्ध होतो.
- (३) **लाभार्थ्यांची निवड :-** इंदिरा आवास योजनेचा लाभार्थी हा ग्रामीण भागात राहणारा, दारिद्र्य रेखेखालील अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीचा, वेठबिगार कामगार व अनुसूचित जाती/जमातीचा नाही, परंतु ग्रामीण भागात राहणारा दारिद्र्य रेखेखालील लाभार्थी तसेच विधवा स्त्रिया व देशाच्या सीमांचे रक्षण करताना कामी आलेल्या जवानांच्या पली तसेच माजी सैनिक जर इतर अटी पूर्ण करीत असतील तर त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.
- (४) **निधीचे वाटप :-** संबंधित वर्षी इंदिरा आवास योजनेखाली उपलब्ध असलेल्या एकूण निधीचे वाटप खालीलप्रमाणे करण्यात येते.
 १. त्यावरी एकूण उपलब्ध असलेल्या निधीच्या ६० टक्के निधी हा अनुसूचित जाती/जमातीच्या दारिद्र्य रेखेखालील लाभार्थीची निवासी घरे बांधण्यासाठी /घरदुरुस्तीसाठी वापरण्यात येतो.

२. जास्तीत जास्त ४० टक्के निधी हा दारिद्र्य रेखालील असलेल्या ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त लोकांच्यासाठी खर्च करण्यात येतो.
३. वरील दोन्ही पैकी ३ टक्के निधी हा शारिरिकदृष्ट्या व मानसिकदृष्ट्या विकलांग लोकांचे घरकुलासाठी खर्च करण्यात येतो

एखाद्या जिल्ह्यामध्ये वर दिलेल्या एखाद्या वर्गवारीमधील लाभार्थी जर उपलब्ध होत नसतील तर तो निधी इतर वर्गवारीमधील लाभार्थ्यांसाठी वापरता येतो. तथापि, त्या वर्गवारीमधील लाभार्थी उपलब्ध नाहीत, असे जिल्हा परिषदेने/जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने घोषित करावे लागते.

(५) योजनेची अंमलबजावणी :- या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषद/जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून करण्यात येते. तथापि घरकुलाचे बांधकाम हे लाभार्थ्यांनी स्वतः करावयाचे असते.

(ब) लाभार्थ्यांची निवड करणे

(१) लाभार्थ्यांची निवड :- केंद्र शासनाकडून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेस प्रतिवर्षी घरकुलाचे आर्थिक व भौतिक उदिष्ट्य देण्यात येते. त्या उदिष्टांचे आधारे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, तालुका पंचायत समित्यांना घरकुलांचे उदिष्टांचे वाटप करून देण्यात येते. त्यानंतर तालुका पंचायत समित्याकडून गांवनिहाय उदिष्ट्य वाटप करण्याची कार्यवाही केली जाते. संबंधित गांवाची ग्रामसभा दारिद्र्य रेखालील कुटुंबांच्या यादीमधून दिलेल्या उदिष्ट्यानुसार लाभार्थ्यांची निवड करतात. ग्रामसभेने निवड केलेली यादी ही अंतिम असते. त्याकरिता उच्चस्तरीय समितीची या यादीस मंजुरी घेण्याची आवश्यकता नसते. पंचायत समिती व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांना ही यादी उच्चस्तरीय समितीस केवळ अवलोकनार्थ पाठविणे अपेक्षित असते.

(२) लाभार्थी निवडीसाठी प्राधान्यक्रम :- लाभार्थी निवडीसाठीचा प्राधान्यक्रम खालीलप्रमाणे असतो.

१. वेठबिगारीतून मुक्त झालेले मजुर
२. (अ) अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीची कुटुंबे ज्यांच्यावर अन्याय झालेला आहे/दुर्दैवाचे बळी ठरलेले आहेत.

- (ब) अनुसूचित जाती जमातीमधील विधवा आणि लग्न न झालेल्या महिला (देवदासी)
- (क) अनुसूचित जाती/जमातीची कुटुंबे जे पूर, महापूर, भूकंप, वादळ, यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती तसेच मनुष्यनिर्मित दंगल, मारामारी, हिंसाचार, जाळपोल यामध्ये बळी पडलेली कुटुंबे
- (ड) इतर अनुसूचित जाती/जमातीची कुटुंबे
३. लष्करी जवानांच्या विधवा पत्नी किंवा देशाच्या सीमांचे रक्षण करताना कामी आलेल्या जवानाच्या पत्नी
 ४. अनुसूचित जाती/जमाती सोडून इतर दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे
 ५. शारिरीक व मानसिकदृष्ट्या अपंग लोक
 ६. भारतीय लष्करसेवेतील निवृत्त माजी सैनिक आणि जवान
 ७. विकास प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या भटक्या जमाती आणि अवर्गीकृत जमाती, शारिरीक व मानसिकदृष्ट्या विकलांग झालेली कुटुंबे
- वरील अटींची पूर्तता करणाऱ्या कुटुंबांची अनुक्रमांक ३ वरील वर्गवारी वगळून दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी म्हणून निवड करण्यात येते.

(क) लाभार्थ्यांचा सहभाग :-

घरकुलाच्या बांधकामामध्ये लाभधारकाचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. लाभधारकाने स्वतः बांधकामाचे साहित्य, कुशल कामगार आणि कुटुंबांतील काम करणाऱ्या व्यक्तीचा सहभाग घ्यावा. घराचे बांधकाम कशा प्रकारे करावयाचे याचे सर्व स्वातंत्र्य लाभधारकास असते. लाभधारकाने बांधकाम साहित्य नियंत्रित दराने पुरवठा करण्याबाबत जिल्हा ग्रामीण किवास यंत्रणेस विनंती केल्यास जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून मदत मिळू शकते. त्यामुळे बांधकाम खर्चात बचत होऊन बांधकामाची गुणवत्ताही टिकविली जाते. त्याचा परिणाम लाभधारकास घर अधिक स्वस्त व चांगल्या गुणवत्तेचे बांधल्याचे उत्तम समाधान लाभते.

(ड) घरकुलाचे वाटप

इंदिरा आवास घरकुलाची मंजूरी कुटुंबांतील महिलेच्या नांवे करण्यात येते. त्यामुळे आपोआपच घरकुलांची मालकी पती व पत्नी या दोघाचे नांवे हाते.

(इ) इंदिरा आवास घरकुल बांधकामाचे मूल्य

(१) इंदिरा आवास घरकुल योजनेअंतर्गत नवीन घरकुल बांधकामाचा खर्च रु.३०,०००/- आहे. लाभार्थाकाचा स्वतःच्या हिस्सा व शासन अनुदान याची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

| आ.क्र | बाब | शासन अनुदान रुपये | लाभार्थाचा हिस्सा रुपये | एकूण रुपये |
|-------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------|
| १. | नवीन घरकुल बांधकाम | २८,५००/- | १,५००/- | ३०,०००/- |

२. शौचालयाचे बांधकाम व निर्धुर चुली :-

इंदिरा आवास घरकुल लाभार्थ्यांने शौचालये बांधणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे घरकुलामध्ये निर्धुर चुली बसविणे पण बंधनकारक आहे. लाभार्थ्यांने शौचालये त्याचे जागेत घरकुलापासून बाजूला बांधले तरी चालते.

३. इंदिरा आवास घरकुलाची जागा :

इंदिरा आवास घरकुल हे निवासी घरकुल लाभार्थ्याचे त्याचे स्वतःचे जागेवर बांधणे आवश्यक आहे. जर स्वतःची जागा नसेल तर ही घरकुले एकत्र बांधणे सोयीचे असते. कारण या घरकुलांना मूलभूत सुविधा उदा.अंतर्गत रस्ते, सांडपाण्याची सोय, विद्युत व्यवस्था, पिण्याचे पाणी इ.देणे सोयीचे होते. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने इंदिरा आवास घरकुले गांवाच्या जवळ असावीत. ती गांवापासून फार दूर बांधण्यात येऊ नयेत.

४. लाभार्थाला अनुदानाचे हप्ते देणे :

इंदिरा आवास घरकुल हे लाभार्थ्यांने स्वतः बांधावयाचे असल्यामुळे घरकुलाचे बांधकाम जसजसे होईल तसेतसे हप्ते दिले जातात. घरकुलाची सर्व रक्कम एकदम लाभार्थ्यांस दिली जात नाही. घरकुलाचे काम जसजसे होईल तसेतसे हप्ते लाभार्थ्यांस देणे बंधनकारक आहे. किती हप्त्यात रक्कम दिली जाते ते हप्ते राज्य शासनाने अथवा संबंधित जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने ठरवावयाचे असतात.

प्रकरण -२

मूल्यमापनाचे उद्देश

दारिद्र्य रेषेख्यालील अनुसूचित जाती/जमाती, बिगर मागासवर्गीय व मुक्त वेटबिगर बेघर कुटुबांना या योजनेतून घरकुल बांधून देण्यात येते. आदिवासी जमातीमधील कातकरी जमातींना इंदिरा आवास योजनेचा कितपत फायदा झाला हे पाहण्यासाठी मूल्यमापनाचे काम हाती घेण्यात आलेले असून त्याचे उद्देश खालीलप्रमाणे आहेत.

- (१) शासनाने विहित केलेल्या नियमाप्रमाणे कातकरी आदिवासी जमातींना इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत कितपत फायदा झाला याचा अभ्यास करणे.
- (२) या योजनेअंतर्गत किती कातकरी आदिवासी जमातींना लाभ देण्यात आला आहे, त्याची पाहणी करणे.
- (३) योजना अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडचणी कोणत्या ते पाहणे व त्याचा अभ्यास करणे
- (४) वाटप करण्यात आलेल्या घरकुलाच्या स्थितीचा अभ्यास करणे.

* * *

प्रकरण - ३

कार्यपद्धती

ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेखेखालील गरीब व बेघर लोकांना निवारा उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. अनुसूचित जमातीच्या एकूण ४५ जमातीपैकी कातकरी ही अतिमागास जमात असून ही जमात मासेमारी करून व जंगलातील वाळलेले लाकूड गोळा करून ते विकून त्यावर उपजिविका करीत असतात तर काही लोक वीटभट्टीवर मोलमजुरी करून आपली उपजिविका करीत असतात. विटभट्टीवर मोलमजुरी करण्यासाठी हे लोक मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर करीत असतात. या अति मागास जमातीच्या लोकांना राहण्यासाठी निवारा उपलब्ध व्हावा म्हणून महाराष्ट्र शासनाने इंदिरा आवास योजनेच्या धर्तीवर कातकरीसाठी घरकुल योजना ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला असून ही योजना आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येते.

या योजनेचे मूल्यमापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, मूल्यमापन पाहणी करण्यासाठी एक प्रश्नावली तयार करण्यात आली होती. या प्रश्नावलीमध्ये (अ) कुटुंबांविषयीची माहिती व (ब) घरकुलासंबंधीची माहिती घेण्यात आली होती.

(अ) कुटुंबांविषयीची माहिती :-

या माहितीमध्ये कुटुंब प्रमुखाचे नांव, गांव शिक्षण त्याचबरोबर त्याचे कुटुंबातील सर्व सदस्यांची माहिती घेण्यात आली होती. कुटुंब दारिद्र्य रेखेखाली आहे काय ? त्याचे वार्षिक उत्पन्न, कुटुंब प्रमुखाचा मुख्य व दुष्यम व्यवसाय, धारण केलेली जिरायत व बागायत जमीन, त्याचबरोबर त्याचेकडील असलेले पशुधन इ.बाबींची माहिती घेण्यात आली आहे.

(ब) घरकुलासंबंधी माहिती :-

या माहितीमध्ये घरकुल मंजूर झाल्याचे वर्ष, घरकुल कोणाकडून मंजूर झाले. घरकुलाच्या जागेची मालकी कोणाची आहे. घरकुल स्वतः बाधले की शासकीय यंत्रणेकडून बांधून घेण्यात आले. अनुदानाची रक्कम किती हपत्यात मिळाली. एकूण खोल्याची संख्या, घरकुलात न्हाणीघर व शौचालय आहे का ? विद्युत व्यवस्था आहे काय ? घरकुलाचे छत पत्त्याचे, कौलारु की स्लॅबचे आहे. घरकुलाची जमीन मातीची की कोबा केलेली आहे, की फरशी बसविलेली आहे. त्याचबरोबर घरकुलाचे ठिकाण गांवात आहे का ? गांवापासून दूर पाडयामध्ये आहे. घरकुलामध्ये करमणुकीचे साधन

आहे काय ? कुटुंब प्रमुखाकडे सायकल, मोटारसायकल इ.वाहतूकीची साधने आहेत काय ? इ.बाबतची माहिती घेण्यात आलेली आहे.

क्षेत्रीय पाहणी :-

या मूल्यमापन पाहणीचे क्षेत्रीय काम करण्यासाठी सांख्यिकी अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली एक पथक तयार करण्यात आले होते. सदर पथकामध्ये तीन संशोधन सहाय्यक व एक अन्वेषक यांचा समावेश होता. सदर पथकाने पुणे, रायगड, ठाणे व नाशिक या चार जिल्ह्यामध्ये जाऊन क्षेत्रीय पाहणीचे काम केलेले आहे. त्याची माहिती खालील तक्त्यात देण्यात आलेली आहे.

तक्ता क्र.३.१

जिल्हा प्रकल्प कार्यालय व तालुकावार गांवाची संख्या व लाभार्थी संख्या दर्शविणारा तक्ता

| अ. क्र. | जिल्हा | प्रकल्प कार्यालय | तालुका | गांवाची संख्या | लाभार्थी संख्या | | |
|------------|--------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------------|------|
| | | | | | प्रकल्प कार्यालय | जि.ग्रा.वि.यंत्रणा | एकूण |
| १. | पुणे | घोडेगांव | मावळ | १ | २५ | ० | २५ |
| | | | खोड | ३ | २७ | ३ | २८ |
| | | | आंबेगांव | ३ | ९ | ३३ | २० |
| | | एकूण | ३ | ७ | ७९ | १२ | ८३ |
| २. | रायगड | पेण | पनवेल | २ | १० | ० | १० |
| | | | पेण | ३ | १७ | ० | १७ |
| | | | खालापूर | १ | ६ | ० | ६ |
| | | | कर्जत | २ | १५ | ० | १५ |
| | | एकूण | ४ | ८ | ४८ | ० | ४८ |
| ३. | ठाणे | शहापूर | शहापूर | ४ | २३ | ८ | ३१ |
| | | | जळहार | ४ | ११ | ३ | १२ |
| | | | चाडा | २ | ० | ३ | ३ |
| | | | डहाणू | १ | ० | २० | २० |
| | | एकूण | ४ | ११ | ३४ | ३२ | ६६ |
| ४. | नाशिक | नाशिक | त्रिंबकेश्वर | ६ | ३० | १ | ३१ |
| | | | पेठ | १ | १५ | ० | १५ |
| | | एकूण | २ | ७ | ४५ | १ | ४६ |
| एकंदर एकूण | | | १३ | ३३ | १९८ | ४५ | २४३ |

वरील तक्त्यावरुन असे निर्दर्शनास येते की, क्षेत्रीय पाहणीचे काम चार जिल्ह्यामध्ये सहा प्रकल्पांतर्गत १३ तालुक्यामध्ये करण्यात आले असून, १३ तालुक्यातील ३३ गांवामधील २४३ लाभार्थीची पत्रके भरण्यात आलेली आहेत. २४३ लाभार्थ्यांपैकी १९८ लाभार्थी प्रकल्प कार्यालयाचे तर ४५ लाभार्थी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे आहेत.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रायगड या कार्यालयाकडून प्रयत्न करूनही लाभार्थ्यांची यादी मिळालेली नाही. त्यामुळे रायगड जिल्ह्याची जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेची माहिती “निरंक” आहे.

क) घरकुलाचे उद्दिष्ट व झालेले साध्य याची विभागवार माहिती :-

केंद्र शासनामार्फत दारिद्र्य रेखेखालील कुटूंबासाठी “इंदिरा आवास घरकुल” ही योजना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येते. इंदिरा आवास घरकुल योजनेच्या धरतीवर आदिवासी विकास विभागामार्फत “अनुसूचित/आदिम जमातीसाठी घरकुल” ही योजना सन २००३-०४ पासून सुरु करण्यात आली आहे. ही योजना विशेष केंद्रीय अर्थ सहाय्यातून राबविण्यात येत असून आदिम जमातीपैकी (कातकरी/कोलाम व माडिया) अतिमागास जमात कातकरी जमातीसाठी घरकुल या योजनेची मूल्यमापनासाठी निवड करण्यात आली आहे.

योजना सुरु झाल्यापासून आदिम जमातीकरिता देण्यात आलेल्या घरकुलाचे उद्दिष्ट व साध्य याची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

तवक्ता क्र. ३.२

अनुसुचित/आदिम जमातीसाठी घरकुल उद्दिष्ट व साध्य

| अ. क्र. | विभाग | आदिवासी विकास विभाग शा.निर्णय दि.२९/३/२००४ | आदिवासी विकास विभाग शा.निर्णय दि.१०/८/२००४ | आदिवासी विकास वि�भाग शा.निर्णय दि.२१/३/२००५ | | | | आदिवासी विकास विभाग शा.निर्णय दि.१६/६/२००५ | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------|------|--------|---------|----|
| | | | | भौतिक उद्दिष्ट साध्य | भौतिक दिलेले अनुदान | भौतिक उद्दिष्ट साध्य | भौतिक उद्दिष्ट साध्य | भौतिक उद्दिष्ट साध्य | भौतिक उद्दिष्ट साध्य | भौतिक उद्दिष्ट साध्य | भौतिक उद्दिष्ट साध्य | | | | | |
| १. नाशिक | ४१६ | ३४२ | १२५.६३ | ३४८ | २७९ | १०४.३९ | ५५४ | २७७ | १६५.१० | ८२ | २४.६० | १४०३ | १८० | ४२०.५२ | ७० | |
| २. ठाणे | ११३६ | ११३६ | ३४०.८० | ६९३ | ५६३ | २०७.९० | ४९४ | २९६ | १२४.४० | ८३० | ४९८ | २४९.०० | ३०६३ | २४२३ | १२२.९० | ७९ |
| ३. अमरावती | १८८ | १८८ | २७६.४० | ५६३ | ५६३ | १३६.८० | ५६३ | ३१४ | १६६.९९ | ४८२ | ३१६ | १४४.६० | २५२६ | २३२६ | ७६०.९३ | ८८ |
| ४. नागपूर | ६२० | ५९६ | १८६.०० | ४९६ | २३७ | १२४.९७ | ५३६ | ४३२ | १६०.९० | ० | ० | १५७३ | १२६४ | ४७६४ | ४७६४ | ८० |
| म.राज्य एकूण | ३१०३ | ३००३ | १३०.८३ | २०२९ | १३५३ | ६०६.०६ | २०६७ | १३९९ | ६२०.३९ | १३७ | ४९८.२० | ८३७ | ४८८ | ८८८ | २५७५.४० | ८० |

वरील तवक्त्यावरुन असे दिसून येते की घरकुलाचे भौतिक उद्दिष्ट सर्वात जास्त २४२३ ठाणे विभागास, त्याखाले घरकुलाचे २२२१अमरावती विभागास, १२६४ नागपूर विभागास तर सर्वात कमी १८० नाशिक विभागास देण्यात आलेले आहे. तर घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट साध्याची उकेवारी सर्वात जास्त ८८% अमरावती, ८०% नागपूर, ७९% राणी, व ७०% नाशिक विभागाची आहे. अधिक माहितीसाठी प्रकल्पनिहाय घरकुलाचे दिलेले उद्दिष्ट व साध्ये दिलेली आहे.

प्रकरण -४

क्षेत्रीय पाहणी

कातकरी जमातीसाठी इंदिरा आवास/घरकुल योजनेची मूल्यमापन पाहणी, पुणे, रायगड, ठाणे व नाशिक या चार जिल्ह्यामध्ये घेण्यात आली. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील घोडेगांव, रायगड जिल्ह्यामधील पेण, ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर, जळ्हार व डहाणू तर नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक प्रकल्पामध्ये घेण्यात आली. वरील प्रकल्पांतर्गत अनुक्रमे मावळ, खेड, आंबेगांव, पनवेल, पेण, खालापूर, कर्जत, शहापूर, जळ्हार, वाडा, डहाणू, त्र्यंबकेश्वर व पेट या १३ तालुक्यामधील ३३ गांवामध्ये घेण्यात आली.

४.१ मूल्यमापन पाहणी पथक :-

या मूल्यमापन पाहणीसाठी या कार्यालयातील सांख्यिकी अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली एक पथक स्थापन करण्यात आले होते. या पथकातील सदस्य खालीलप्रमाणे होते.

| अ.क्र. | अधिकारी/कर्मचाऱ्याचे नाव | हुदा |
|--------|--------------------------|-------------------|
| १. | श्री.के.एस.चळाण | सांख्यिकी अधिकारी |
| २. | श्री.पी.बी.कुदळे | संशोधन सहाय्यक |
| ३. | श्री.एस.आर.तरकसबंद | संशोधन सहाय्यक |
| ४. | श्री.जी.सी.लोंडे | संशोधन सहाय्यक |
| ५. | श्री.आर.एस.पवार | अन्वेषक |

४.२ लाभार्थ्याचे तालुकानिहाय वर्गीकरण :-

पुणे, रायगड, ठाणे व नाशिक या चार जिल्ह्यामध्ये क्षेत्रीय पाहणी करण्यात आली असून एकूण २४३ कातकरी लाभार्थी कुटुंबांची पत्रके भरण्यात आली आहेत. त्याचे तालुकानिहाय वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

तक्ता क्र.४.१

प्रकल्प कार्यालय व तालुकावार गांवाची संख्या व ताभार्थी संख्या दर्शविणारा तक्ता

| अ. क्र. | जिल्हा | प्रकल्प कार्यालय | तालुका | लाभार्थी संख्या | टक्केवारी |
|------------|--------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|
| १. | पुणे | घोडेगांव | मावळ | ३५ | ४२ |
| | | | खेड | २८ | ३४ |
| | | | आंबेगांव | २० | २४ |
| एकूण | | | ३ | ८३ | ३४ |
| २. | रायगड | पेण | पनवेल | १० | २१ |
| | | | पेण | १७ | ३५ |
| | | | खालापूर | ६ | १३ |
| | | | कर्जत | १५ | ३१ |
| एकूण | | | ४ | ४८ | २० |
| ३. | ठाणे | शहापूर | शहापूर | ३१ | ४६ |
| | | जव्हार | जव्हार | १२ | १८ |
| | | | वाढा | ३ | ५ |
| | | डहाणू | डहाणू | २० | ३० |
| एकूण | | | ४ | ६६ | २६ |
| ४. | नाशिक | नाशिक | ऋंबकेश्वर | ३१ | ६७ |
| | | | पेठ | १५ | ३३ |
| | | एकूण | २ | ४६ | ११ |
| एकूण | | | १३ | २४३ | १०० |

वरील तक्त्यावरून असे दिसून येते की, पुणे जिल्ह्यातील ८३ (३४%) रायगड जिल्ह्यातील ४८ (२०%) ठाणे जिल्ह्यातील ६६ (२६%) तर नाशिक जिल्ह्यातील ४६ (११%) असे एकूण २४३ कातकरी लाभार्थीची पाहणी करण्यात आली आहे.

४.३ एकूण लाभार्थीचे लिंगानुसार वर्गीकरण :

एकूण २४३ लाभार्थीची पाहणी करण्यात आली आहे त्याचे लिंगानुसार (स्त्री/पुरुष) वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

तक्ता क्र. ४.२

एकूण लाभार्थीचे लिंगानुसार वर्गीकरण

| अ.क्र. | जिल्हा | लाभार्थी संख्या | लिंग | | |
|--------|--------|-----------------|-------|----------|------|
| | | | पुरुष | स्त्रिया | एकूण |
| १ | पुणे | ८३ | २८ | ५५ | ८३ |
| २. | रायगड | ४८ | २६ | २२ | ४८ |
| ३. | ठाणे | ६६ | २८ | ३८ | ६६ |
| ४. | नाशिक | ४६ | ४५ | १ | ४६ |
| एकूण | | २४३ | १२७ | ११६ | २४३ |

वरील तक्त्यावरुन असे दिसून येते की, एकूण २४३ लाभार्थ्यांपैकी १२७ (५२%) पुरुष लाभधारक तर ११६ (४८%) स्त्री लाभधारक आहेत.

वरील २४३ लाभधारकामध्ये प्रकल्प कार्यालय , आदिवासी विकास विभाग यांचेमार्फत लाभ देण्यात आलेल्या १९८ (८१%) लाभधारकांचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले आहे, तर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत लाभ देण्यात आलेल्या ४५ (१९%) लाभधारकांचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले आहे.

प्रकल्प कार्यालय यांचेमार्फत लाभ देण्यात आलेल्या १९८ लाभधारकांची जिल्हा व तालुकानिहाय आकडेवारी खालील तक्त्यामध्ये देण्यात आलेली आहे.

तक्ता क्र.४.३ (अ)

प्रकल्प कार्यालयामार्फत लाभ देण्यात आलेल्या लाभधारकांचे लिंगानुसार वर्गीकरण

| अ.क्र. | जिल्हा | एकूण लाभार्थी | लिंग | | |
|--------|--------|---------------|-------|----------|------|
| | | | पुरुष | स्त्रिया | एकूण |
| १. | पुणे | ७९ | २२ | ४९ | ७९ |
| २. | रायगड | ४८ | २६ | २२ | ४८ |
| ३. | ठाणे | ३४ | २२ | १२ | ३४ |
| ४. | नाशिक | ४५ | ४५ | ० | ४५ |
| एकूण | | १९८ | १३५ | ८३ | १९८ |

प्रकल्प कार्यालयामार्फत लाभ देण्यात आलेल्या एकूण १९८ लाभार्थ्यांपैकी १३५ (५८%) पुरुष लाभार्थी तर ८३ (४२%) स्त्री लाभार्थी आहेत. नाशिक जिल्ह्यामध्ये लाभ देण्यात आलेले सर्व ४५ लाभधारक हे पुरुष असून तेथे सर्वेक्षण करण्यात आलेल्यापैकी एकाही स्त्री लाभधारकास लाभ देण्यात आलेला नाही.

तक्ता क्र.४.३ (ब)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणे मार्फत लाभ देण्यात आलेल्या लाभधारकांचे लिंगानुसार वर्गीकरण

| अ.क्र. | जिल्हा | एकूण लाभार्थी | लिंग | | |
|--------|--------|---------------|-------|----------|------|
| | | | पुरुष | स्त्रिया | एकूण |
| १. | पुणे | १२ | ६ | ६ | १२ |
| २. | रायगड | ० | ० | ० | ० |
| ३. | ठाणे | ३२ | ६ | २६ | ३२ |
| ४. | नाशिक | ३ | ० | १ | ३ |
| एकूण | | ४५ | १२ | ३३ | ४५ |

टीप- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रायगड यांचकडून कोतकरी लाभधारकांची माहिती प्रयत्न करूनही न मिळाल्यामुळे रायगड जिल्ह्यामधील लाभधारकांची संख्या निसंक दाखविण्यात आलेली आहे.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडील ४५ लाभधारकांमध्ये १२ (२६%) पुरुष लाभधारक तर ३३ (७३%) स्त्री लाभधारक आहेत. नाशिक जिल्ह्यामध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचा एक लाभधारक असून तो स्त्री लाभधारक आहे.

४.४ इंदिरा आवास घरकुल बांधकामाची स्थिती :-

प्रकल्प कार्यालयामार्फत देण्यात आलेल्या घरकुलाच्या बांधकामाची स्थिती खालील तक्त्यामध्ये दिलेली आहे.

तक्ता क्र.४.४ (अ)
घराचे बांधकामाची स्थिती दर्शविणारा तक्ता

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | लाभार्थी संख्या | बांधकाम पूर्ण | प्लॉटस्टर बाकी | छत पडणे बाकी | जोत्यापर्यंत पूर्ण | काम सुरु नाही |
|------------|--------|---------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| १. | पुणे | मावळ | ३५ | ० | ३५ | ० | ० | ० |
| | | खोड | २७ | १ | ० | ० | २१ | ५ |
| | | आंबेगांव | ९ | २ | ० | ० | २ | ५ |
| | | एकूण | ७१ | ३ | ३५ | ० | २३ | १० |
| | | टक्केवारी | १००% | ४% | ४९% | ० | ३२% | ३४% |
| २. | रायगड | पनवेल | १० | ७ | ० | ० | १ | २ |
| | | पेण | १७ | १० | ० | १ | २ | ४ |
| | | खालापूर | ६ | ६ | ० | ० | ० | ० |
| | | कर्जत | ३५ | १५ | ० | ० | ० | ० |
| | | ४ | ४८ | ३८ | ० | १ | ३ | ६ |
| | | टक्केवारी | १००% | ६९% | ० | २% | ६% | १३% |
| ३. | ठाणे | शहापूर | २३ | २३ | ० | ० | ० | ० |
| | | जळहार | ११ | ११ | ० | ० | ० | ० |
| | | २ | ३४ | ३४ | ० | ० | ० | ० |
| | | टक्केवारी | १००% | १००% | | | | |
| ४. | नाशिक | त्र्यंबकेश्वर | ३० | ३० | ० | ० | ० | ० |
| | | पेठ | ३५ | १३ | ० | ० | ० | ० |
| | | २ | ४५ | ४५ | ० | ० | ० | ० |
| | | टक्केवारी | १००% | १००% | | | | |
| | | एकंदर | एकूण | ११८ | १२० | ३५ | १ | २६ |
| | | टक्केवारी | १००% | ६१% | ३८% | ० | १३% | ८% |

प्रकल्प कार्यालयामार्फत एकूण १९८ घरकुलांचे वाटप करण्यात आलेले आहे. त्यापैकी ७१ घरकुले पुणे जिल्ह्यातील असून ७१ पैकी फक्त ३ (४%) घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून लाभार्थी घरकुलांमध्ये राहत आहेत. तर ६८ (९६%) घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे ६८ लाभधारकांना घरकुलांचा लाभ देऊनही घरकुल देण्याचे उदिष्ट्य साध्य झाले नसल्याचे दिसून येते.

घरकुलाच्या बांधकामाची स्थिती पुणे जिल्ह्यामध्ये समाधानकारक नाही. याच्या कारणांचा शोध घेतला असता, असे निर्दर्शनास आले आहे की, पुणे जिल्ह्यातील कातकरी लोक हे कोकणातून (रायगड, ठाणे जिल्ह्यातून) पुणे जिल्ह्यामध्ये मोलमजुरी/रोजगारासाठी आलेले आहेत व पुणे जिल्ह्यामध्येच स्थायिक झालेले आहेत. त्यामुळे त्यांना पक्के घर बांधण्यासाठी स्वतःची अशी जागा नाही आणि जागा विकत घेऊन घरकुल बांधण्याइतकी त्यांची आर्थिक परिस्थिती नाही. तसेच बच्याच गांवामध्ये जागा विकत घ्यायचे जरी उरविले तर कोणी त्यांना जागा विकत देत नाही. त्यामुळे अशा कातकरी जमातीच्या आदिवासींना जमीन अथवा जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांना घरकुलाचे बांधकाम करता येत नाही व पर्यायाने घरकुल वाटप योजनेचा उद्देश सफल होत नाही.

या योजनेचा उद्देश सफल व्हावा म्हणून काही गांवातील सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अशा कातकरी लोकांचे घरकुल बांधण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या मालकीची जागा उदा.गायरान, गावठाणातील जागा उपलब्ध करून दिलेलेली आहे. काही गांवामध्ये ग्रामपंचायतीची जागा उपलब्ध नाही, अशा गांवामध्ये (उदा.आळाट, ता.खेड) खाजगी मालकीची जागा या लोकांना बक्षिसपत्र करून मिळवून दिली असल्याचे निर्दर्शनास आले आहे. त्यामुळे घरकुलाचे बांधकाम करण्यास उशीर झाला असल्याचे दिसून येते.

रायगड जिल्ह्यामध्ये ४८ घरकुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यापैकी ३८ घरकुले बांधून तयार झालेली आहेत व त्यामध्ये लोक राहत असल्याचे दिसून आले आहे. १० घरकुलाचे बांधकाम अपूर्ण अवस्थेत आहे. त्याबाबतच्या कारणांचा शोध घेतला असता काही लोक मोलमजुरीसाठी बाहेगांवी गेल्याने तर काही लोकांच्या वैयक्तिक अडचणीमुळे घरकुलांचे बांधकाम अपूर्ण असल्याचे निर्दर्शनास आले आहे.

रायगड जिल्ह्यामध्ये बच्याच गांवामध्ये घरकुलाला प्लॅस्टर केलेले नाही. तथापि, लोक घरकुलामध्ये राहत आहेत. याबाबत चौकशी केली असता, असे सांगण्यात आले की, घरकुलाकरिता अनुदानाची रक्कम कमी असल्यामुळे

अनुदानाच्या रक्कमेत घरकुल बांधून पूर्ण होत नाही. त्यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावरून अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत की- (१) घरकुलाचे विटकाम सिमेंट मध्ये केले तर त्यास प्लॅस्टर करण्याची गरज नाही. (२) जर विटकाम मातीमध्ये केले तर त्या घरास प्लॅस्टर करण्यात यावे, असे मौखिक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

ठाणे जिल्ह्यामध्ये एकूण ३४ घरकुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून, त्या सर्व घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे व लाभार्थी घरकुलामध्ये राहत आहेत.

नाशिक जिल्ह्यामध्ये एकूण ४५ घरकुलांची क्षेत्रीय पाहणी करण्यात आली आहे. ती सर्व घरकुले बांधून पूर्ण आहेत व लाभार्थी त्यामध्ये राहत आहेत. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यामध्ये असे निर्दर्शनास आले की, लाभार्थ्यांस घरकुल बांधण्याबाबतचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आल्यामुळे लाभार्थ्यांनी त्यांचे परंपरेनुसार मोठमोठी घरकुले बांधलेली आहेत. त्यामुळे काही लाभार्थ्यांनी घराचे छप्पर भाताच्या काढापासून व झाडाच्या पानांनी तयार केले असल्याचे दिसून आलेले आहे. घरकुलांच्या भिंती मातीमध्ये बांधलेल्या आहेत. तर घरकुलांची जमीन शेणाने सारवलेली असल्याचे दिसून आले आहे.

जिल्हा ग्रामीण विकास संस्थेमार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या इंदिरा आवास घरकुल योजनेच्या घरकुलांची स्थिती खालीलप्रमाणे-

तक्ता क्र. ४.४ (ब)

घरकुलाचे बांधकामाबाबतची स्थिती

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | लाभार्थी संख्या | बांधकाम पूर्ण | प्लॅस्टर बाकी | छत पडणे बाकी | जोत्यापर्यंत पूर्ण | काम सुरु नाही |
|---------|--------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|
| १. | पुणे | खेड | १ | १ | ० | ० | ० | ० |
| | | आंबेगांव | ११ | ११ | ० | ० | ० | ० |
| | | एकूण | १२ | १२ | ० | ० | ० | ० |
| २. | रायगड | - | - | - | - | - | - | - |
| ३. | ठाणे | शहापूर | ८ | ८ | - | - | - | - |
| | | जळहार | १ | १ | - | - | - | - |
| | | वाढा | ३ | २ | - | १ | - | - |
| | | डहाणू | २० | २० | - | - | - | - |
| | | एकूण | ३२ | ३१ | - | १ | - | - |
| ४. | नाशिक | त्र्यंबकेश्वर | १ | १ | - | - | - | - |
| | | एकूण | १ | १ | - | - | - | - |
| | | एकंदर एकूण | ४६ | ४४ | - | १ | - | - |

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत मंजूर करण्यात आलेला एकूण ४५ इंदिरा आवास घरकुल योजनेच्या घरकुलाची क्षेत्रीय पाहणी करण्यात आली आहे. ४५ घरकुलांपैकी ४४ घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झालेले असून, लाभार्थी या घरकुलामध्ये राहत आहेत. फक्त एक घरकुल अपूर्ण असून ते वाडा तालुक्यातील पाली या गांवातील आहे. ते सन २००५-०६ या वर्षात मंजूर करण्यात आलेले आहे. क्षेत्रीय पाहणीच्या वेळी सदर घरकुलाचे छत घालणे बाकी असल्याचे दिसून आलेले आहे.

डहाणू तालुक्यातील कासा या गांवी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत वाटप करण्यात आलेल्या २० इंदिरा आवास घरकुलाची क्षेत्रीय पाहणी करण्यात आली. सदर घरकुले सन २००१-०२ या वर्षी मंजूर करण्यात आलेली आहेत. त्यापैकी काही घरकुलांची पड़झड झालेली असून काही घरकुलांच्या भिंतीना भेगा पडलेल्या आहेत. त्यामुळे काही घरकुले ५ वर्षामध्येच राहण्यास अयोग्य झाल्याचे निर्दर्शनास आले आहे.

४.५ लाभार्थीच्या घरातील स्त्री पुरुष संख्या :-

या सर्वेक्षणांतर्गत एकूण २४३ लाभार्थ्यांचे क्षेत्रीय पाहणी करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी १९८ लाभार्थी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाने वाटप केलेले आहेत. त्या १९८ लाभार्थ्यांच्या कुटुंबांतील स्त्री व पुरुष, मुले व मुली यांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे.

तक्ता क्र.४.५ (अ)
कुटुंबातील एकूण सदस्य संख्या

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | लाभार्थी संख्या | कुटुंबातील एकूण सदस्य संख्या | | | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
|------------|--------|----------|--------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | १०० | १०० | १०० | | | | | | |
| १. | पुणे | मावळ | ३५ | ६९ | ९० | ३५९ | ३९ | ४३ | ८२ | ३२ | ४५ | ७७ |
| | | खेड | २६ | ५८ | ५५ | ११३ | २३ | २८ | ५१ | ३६ | २७ | ६२ |
| | | आंबोगांव | ९ | २० | २१ | ४१ | ८ | १ | १० | १२ | १२ | २४ |
| | | | एकूण | ७३ | १४७ | १६६ | ३१३ | ७० | ८० | १५० | ६९ | ८४ |

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | लाभार्थी संख्या | कुटुंबांतील एकूण सदस्य संख्या | पुरुष | स्त्री | पुरुष | स्त्री | पुरुष | स्त्री | एकूण | | |
|------------|--------|-----------|--------------------|----------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------|-----|--|
| 2. | रायगड | पनवेल | १० | २१ | २७ | ४८ | १४ | ३५ | २९ | ६ | ३२ | ३९ | |
| | | पेण | १६ | ३१ | २२ | ५३ | २६ | ३८ | ४३ | ६ | ४ | १० | |
| | | खालापूर | ६ | ७ | १३ | २० | ३ | ९ | १२ | ४ | ४ | ८ | |
| | | कर्जत | १५ | ३२ | ३५ | ६७ | १९ | २३ | ४२ | ३३ | ३२ | २५ | |
| एकूण | | | ४८ | ९१ | ९७ | १८८ | ६१ | ६५ | १२६ | ३० | ३२ | ६२ | |
| 3. | ठाणे | शहापूर | २३ | ४६ | ४९ | ९४ | १८ | २७ | ४५ | २७ | २२ | ४९ | |
| | | जळ्हार | ११ | ३१ | २८ | ५१ | १३ | ३५ | २८ | ३८ | ३३ | ३१ | |
| | | एकूण | ३४ | ७६ | ७७ | १५३ | ३१ | ४२ | ७३ | ४५ | ३५ | ८० | |
| 4. | नाशिक | चंबकेश्वर | ३० | ८१ | ५९ | १४० | ३६ | ३८ | ७४ | ४६ | २१ | ६६ | |
| | | पेठ | १६ | ४१ | ४६ | ८७ | २४ | २४ | ४८ | ३८ | २३ | ३९ | |
| एकूण | | | ४६ | १२२ | १०५ | २२७ | ६० | ६२ | १२२ | ६३ | ४२ | १०५ | |
| एकंदर एकूण | | | १९८ | ४३६ | ४४५ | ८८१ | २२२ | २४९ | ४७१ | २१७ | ११३ | ४१० | |

वरील तक्त्यावरुन असे दिसून येते की, पुणे जिल्ह्यामध्ये ७१ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये एकूण १४७ पुरुष व १६६ स्त्रिया आहेत. यामध्ये पुरुष ७० व स्त्रिया ८० तर मुले ७९ व मुली ८४ आहेत.

तसेच रायगड जिल्ह्यामध्ये ४८ कुटुंबांचे सर्वेक्षण केलेले आहे. त्या कुटुंबांमध्ये एकूण पुरुष ९३ व स्त्रिया ९७ आहेत. तर पुरुष ६१ व ६५ स्त्रिया आहेत. मुले ३० तर मुली ३२ आहेत.

या दोन्ही जिल्ह्यामध्ये पुरुषापेक्षा स्त्रियांची संख्या जास्त असल्याचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे चार जिल्ह्यांचा एकत्रित विचार केला असता १९८ कुटुंबांमध्ये ४३६ पुरुष व ४४५ स्त्रिया म्हणजे पुरुषापेक्षा स्त्रियांची संख्या जास्त आहे.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत वाटप करण्यात आलेल्या ४५ लाभार्थी कुटुंबांतील एकूण सदस्य संख्या व पुरुष, स्त्रिया तसेच मुले व मुली यांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे.

तक्ता क्र.४.५ (ब)

कुटुंबांतील एकूण सदस्य संख्या

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | लाभार्थी संख्या | कुटुंबांतील एकूण सदस्य संख्या | | | पुरुष/स्त्रिया | | | मुले /मुली | | |
|------------|--------|---------------|--------------------|----------------------------------|----------|------|----------------|----------|------|------------|----------|------|
| | | | | पुरुष | स्त्रिया | पुढी | पुरुष | स्त्रिया | पुढी | पुरुष | स्त्रिया | पुढी |
| १. | पुणे | खेड | १ | ४ | २ | ६ | १ | १ | २ | ३ | १ | ४ |
| | | आंबेगांव | ३१ | २१ | २२ | ४३ | १३ | १६ | २९ | ८ | ६ | १४ |
| | | एकूण | १२ | २५ | २४ | ४९ | १४ | १७ | ३१ | ११ | ७ | १८ |
| २. | रायगड | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | एकूण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ३. | ठाणे | शहापूर | ८ | ५ | ११ | १६ | ४ | ९ | १३ | ४ | २ | ३ |
| | | जळदार | १ | ३ | ४ | ७ | २ | २ | ४ | १ | २ | ३ |
| | | वाढा | ३ | ४ | ६ | १० | ४ | ५ | ९ | ० | १ | १ |
| | | डहाणू | २० | ४७ | ४३ | ९० | २४ | २५ | ४९ | २३ | १८ | ४१ |
| | | एकूण | ३२ | ५९ | ६४ | १२३ | ३४ | ४३ | ७५ | २५ | २३ | ४८ |
| ४. | नाशिक | त्र्यंबकेश्वर | १ | ३ | ३ | ६ | २ | १ | ३ | १ | २ | ३ |
| | | एकूण | १ | ३ | ३ | ६ | २ | १ | ३ | १ | २ | ३ |
| | एकंदर | एकूण | ४५ | ८६ | ९१ | १७८ | ७८ | ८१ | १५९ | ७६ | ५३ | १२९ |

वरील तक्त्यावरुन ४५ कुटुंबांतील एकूण सदस्य संख्येचा विचार केला असता ४५ कुटुंबामध्ये ८७ पुरुष व ९१ स्त्रिया आहेत. तर प्रौढ पुरुष ७८ व स्त्रिया ८१ म्हणजे पुरुषापेक्षा स्त्रियांची संख्या जास्त असल्याचे दिसून येते.

४.६ लाभार्थी कुटुंबांतील साक्षर/निरक्षर संख्या

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकलपाचे १९८ लाभार्थीच्या कुटुंबांतील साक्षर/निरक्षर व शिक्षणानुसार वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

तक्ता क्र.४.६ (अ)

साक्षर, निरक्षर व शिक्षणानुसार वर्गीकरण

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | लाभार्थी संख्या | एकूण साक्षर | | | एकूण निरक्षर | | | शिक्षणानुसार वर्गीकरण | | | |
|---------|--------|--------------|-----------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|---|
| | | | | पुरुष | फौल | कुल | पुरुष | फौल | कुल | पुरुष | फौल | कुल | |
| १. | पुणे | मावळ | ३५ | ४७ | ४६ | ९३ | २४ | ४२ | ६६ | ५० | ३३ | १० | ० |
| | | खेड | २७ | २० | १९ | ३१ | ३१ | ३५ | ६४ | ३१ | ५ | ३ | ० |
| | | आंबेगांव | १ | १ | १ | ३० | १५ | १६ | ३१ | ७ | ३ | ० | ० |
| | | एकूण | ७१ | ७२ | ७० | १४२ | ७८ | ९३ | १६१ | ८८ | ४१ | १३ | ० |
| २. | शयगड | पनवेल | १० | ८ | ९ | १७ | १३ | १८ | ३१ | ३३ | ६ | ० | ० |
| | | पेण | १६ | ६ | ० | ७ | २३ | २३ | ४६ | ३ | ० | ४ | ० |
| | | खालापूर | ६ | ० | ३ | ३ | ७ | १२ | १९ | १ | ० | ० | ० |
| | | कर्जत | १३ | ३ | ३ | ६ | २१ | ३२ | ६१ | ३ | २ | १ | ० |
| एकूण | | | ४८ | १८ | १३ | ३१ | ७२ | ८५ | १५७ | १८ | ८ | ५ | ० |
| ३. | ठाणे | शहापूर | २३ | १६ | ३ | ३० | ३८ | ४६ | ८४ | १ | १ | ० | ० |
| | | जळ्हार | १४ | १६ | २ | १ | २६ | २४ | ५० | ४ | १ | ३ | १ |
| | | एकूण | ३४ | १४ | ५ | ३९ | ६४ | ७० | १३४ | १३ | २ | ३ | १ |
| ४. | नाशिक | त्रिंबकेश्वर | ३० | ३१ | १३ | ३२ | ६२ | ४६ | १०८ | २२ | ८ | २ | ० |
| | | पेठ | १५ | १९ | १६ | ३१ | २० | ३२ | ५२ | १९ | ३३ | ४ | १ |
| | | एकूण | ४५ | ३८ | २९ | ६७ | ८२ | ७८ | १६० | ४१ | ११ | ६ | १ |
| | | एकंदर एकूण | १९८ | १४२ | ११७ | २५९ | २१६ | ३२६ | ६२२ | १६० | ६० | २७ | २ |

एकूण १९८ कुटुंबांमध्ये साक्षर लोक २५९ असून त्यामध्ये १४२ (५५%) पुरुष व ११७ (४५%) स्त्रिया साक्षर आहेत. तर ६२२ निरक्षर लोकांपैकी २९६ (४८%) पुरुष

व ३२६ (५२%) स्त्रिया आहेत. १ ली ते ४ थी पर्यंत शिकलेले १६० व्यक्ती असून ११ वी १२ वी पर्यंत शिकलेले फक्त दोनच लोक आहेत व ते जव्हार व पेठ तालुक्यातील प्रत्येकी एक एक आहेत.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या ४५ लाभार्थीचा साक्षर व निरक्षर व शिक्षणानुसार वर्गीकरणाची स्थिती खालील तक्त्यामध्ये दिलेली आहेत.

तक्ता क्र.४.६ (ब)

साक्षर, निरक्षर व शिक्षणानुसार वर्गीकरण

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | लाभार्थी संख्या | एकूण साक्षर | | | एकूण निरक्षर | | | शिक्षणानुसार वर्गीकरण | | | | |
|------------|--------|--------------|-----------------|-------------|-----|------|--------------|-----|------|-----------------------|-----|------|---|---|
| | | | | पुरुष | फौल | पुणे | पुरुष | फौल | पुणे | पुरुष | फौल | पुणे | | |
| १. | पुणे | खेड | १ | ३ | १ | ४ | १ | १ | २ | ३ | १ | ० | ० | |
| | | आंबेगांव | ११ | ६ | ६ | १२ | ११ | १६ | ३१ | ५ | ६ | १ | ० | |
| एकूण | | | | १२ | ९ | ७ | १६ | १६ | ३७ | ८ | ७ | १ | ० | |
| २. | रायगड | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| एकूण | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ३. | ठाणे | शहापूर | ८ | १ | १ | २ | ४ | ३० | ३४ | ० | २ | ० | ० | |
| | | जव्हार | १ | ३ | ० | ३ | ० | ४ | ४ | २ | ० | १ | ० | |
| | | वाडा | ३ | १ | ० | ३ | ३ | ६ | ९ | ० | १ | ० | ० | |
| | | ढहाणू | २० | ३ | ३ | ६ | ४३ | ४३ | ४४ | ३ | ३ | ० | ० | |
| एकूण | | | | ३२ | ८ | ४ | ३२ | ५० | ६१ | ३३३ | ५ | ६ | १ | ० |
| ४. | नाशिक | त्रिंबकेश्वर | १ | ० | १ | १ | २ | २ | ५ | १ | ० | ० | ० | |
| एकूण | | | | १ | ० | १ | १ | ३ | २ | ५ | १ | ० | ० | |
| एकंदर एकूण | | | | ४५ | १७ | १२ | २९ | ६९ | ८० | १४९ | १४ | १३ | २ | |

एकूण ४५ कुटुंबांमध्ये २९ साक्षर व्यक्ती असून त्यापैकी १७ (५९%) पुरुष व १२ (४१%) स्त्रिया साक्षर आहेत. तर निरक्षर १४९ लोक असून त्यापैकी ६९ (४६%) पुरुष व ८० (५४%) स्त्रिया निरक्षर असल्याचे दिसून येते. तर साक्षर लोकांपैकी १ ली

ते ४ थी पर्यंत शिकलेले १४, ५वी ते ७ वी पर्यंत शिकलेले १३ व ८ वी ते १० वी पर्यंत शिकलेल्या फक्त २ व्यक्ती आहेत.

४.७ लाभार्थी कुटुंबांचे व्यवसायानुसार वर्गीकरण :-

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाकडून लाभ देण्यात आलेल्या १९८ लाभार्थीचे मुख्य व गौण व्यवसायानुसार वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

तक्ता क्र.४.७ (अ)

कुटुंबाचे व्यवसायानुसार वर्गीकरण

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | लाभार्थी संख्या | मुख्य व्यवसाय | | | | | | दुस्यम व्यवसाय | | | | | | |
|---------|--------|---------------|-----------------|---------------|------|-------|----------|--------------------|---------|----------------|------|-------|----------|--------------------|---------|----|
| | | | | शेतकऱ्या | मिळी | नोकरी | मासमंगली | लाकडकाटा गोळा करणी | व्यवसाय | शेतकऱ्या | मिळी | नोकरी | मासमंगली | लाकडकाटा गोळा करणी | व्यवसाय | |
| १. | पुणे | मावळ | ३५ | - | - | ३१ | ४ | - | - | - | - | ३२ | - | - | १ | - |
| | | खेड | २७ | - | - | २७ | - | - | - | - | - | १६ | - | - | ३० | - |
| | | आंबेगांव | १ | - | - | १ | - | - | - | - | - | ४ | - | - | ५ | - |
| | | एकूण | ७९ | - | - | ६७ | ४ | - | - | - | - | ५२ | - | - | १६ | - |
| २. | रायगड | पनवेल | १० | - | - | १० | - | - | - | - | - | ५ | - | - | ५ | - |
| | | पेण | २७ | - | - | २६ | - | - | - | - | - | ३८ | - | - | ३ | - |
| | | खालापूर | ६ | - | - | ६ | - | - | - | - | - | ६ | - | - | - | - |
| | | कर्जत | १५ | - | - | १५ | - | - | - | - | - | १० | - | - | ५ | - |
| | | एकूण | ४८ | - | - | ४८ | - | - | - | - | - | ३५ | - | - | १३ | - |
| ३. | ठाणे | शहापूर | २३ | - | ६ | १६ | - | - | - | १ | - | १ | ५ | - | ३ | ६ |
| | | जवळार | ११ | - | ५ | ६ | - | - | - | - | - | ५ | ५ | - | - | - |
| ४. | नाशिक | एकूण | ३४ | - | ११ | २२ | - | - | - | १ | - | १५ | १० | - | १ | ६ |
| | | त्र्यंबकेश्वर | ३० | २ | ८ | १९ | - | - | - | १ | - | १९ | ११ | - | - | - |
| | | पेठ | ३५ | - | ३४ | ११ | - | - | - | - | - | १ | ३४ | - | - | - |
| | | एकूण | ४५ | २ | २२ | २० | - | - | - | १ | - | २० | १५ | - | १ | - |
| ५. | एकंदर | एकूण | १४८ | २ | ३३ | १५० | ४ | - | - | २ | - | १२२ | ३५ | - | ३६ | २० |
| | | टक्केवारी | १०० | १ | १० | ७९ | २ | - | - | १ | - | ६२ | ३८ | - | १ | १० |

एकूण १९८ लाभधारकापैकी सर्वात जास्त १५७ (७९%) लाभधारकांचा मजुरी हा मुख्य व्यवसायाय आहे. प्रत्येकी २ (१%) लाभधारकांचा शेती व व्यवसाय हा मुख्य व्यवसाय आहे तर दुस्यम व्यवसायामध्ये सर्वात जास्त ३२२ (६२%) लाभधारकांचा शेतमजुरी हा दुस्यम व्यवसाय आहे. तर सर्वात कमी म्हणजे २ (१%) लाभधारकांचा व्यवसाय हा दुस्यम व्यवसाय आहे.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून लाभ देण्यात आलेल्या ४५ लाभार्थीची मुख्य व दुस्यम व्यवसाय याची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे.

तक्ता क्र.४.७ (ब)

कुटूंबाचे व्यवसायानुसार वर्गीकरण

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | लाभार्थी संख्या | मुख्य व्यवसाय | | | | | दुस्यम व्यवसाय | | | | | मासेसाठी लाभार्थी | लाभार्थी संख्या | | |
|---------|-----------|------------|-----------------|---------------|----------|------|-------|-------------------|----------------|------|-------|----------|------|-------------------|-----------------|---|---|
| | | | | शेती | शेतमजुरी | मंडळ | तेकडी | मासेसाठी लाभार्थी | शेतमजुरी | मंडळ | तेकडी | शेतमजुरी | मंडळ | तेकडी | | | |
| ३. | पुणे | खेड | ३ | - | - | - | - | ३ | - | - | - | - | १ | - | - | - | - |
| | | खेड | ३१ | - | १ | १ | १ | १ | - | - | - | - | १ | १ | - | - | - |
| | | एकूण | ३२ | - | १ | १ | १ | १ | - | - | - | - | १ | १ | - | - | - |
| २. | रायगड | पनवेल | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | एकूण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ३. | ठाणे | शहापूर | ८ | - | - | ८ | - | - | - | - | - | - | ८ | - | - | - | - |
| | | जळ्डार | १ | - | - | १ | - | - | - | - | - | - | १ | - | - | - | - |
| | | वाडा | ३ | - | १ | २ | - | - | - | - | - | - | २ | १ | - | - | - |
| | | डहाणू | २० | - | १ | १९ | - | - | - | - | - | - | १९ | १ | - | - | - |
| | | एकूण | ३२ | - | २ | ३० | - | - | - | - | - | - | ३० | २ | - | - | - |
| ४. | नाशिक | चिंबकेश्वर | १ | - | १ | - | - | - | - | - | - | - | १ | - | - | - | - |
| | | एकूण | १ | - | १ | - | - | - | - | - | - | - | १ | - | - | - | - |
| | | एकंदर एकूण | ८१ | - | ४ | ३९ | १ | १ | - | - | - | - | ३९ | ५ | - | - | - |
| | ठक्केवारी | १०० | - | १ | ८५ | २ | २ | - | - | - | - | - | ८५ | ११ | - | - | - |

एकूण ४५ लाभार्थीपैकी ३९ (८६%) लाभार्थी मजुरी करतात. ४ (९%) लाभार्थी शेतमजुरी करतात. तर प्रत्येकी १ (२%) लाभार्थी अनुक्रमे नोकरी व मासेमारी करतात. दुस्यम व्यवसायांचा विचार करता ३९ (८६%) लाभार्थी शेतमजुरी करतात तर ५ (११%) लाभार्थी मजुरी करीत असल्याचे दिसून आले आहे.

४.८ लाभार्थी कुटुंबांचे उत्पन्नानुसार वर्गीकरण :-

प्रकल्प कार्यालयामार्फत घरकुलाचे वाटप करण्यात आले आहे. त्या लाभार्थीचे उत्पन्नानुसार वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे आहे.

तक्ता क्र.४.८ (अ)

लाभार्थीचे उत्पन्नानुसार वर्गीकरण

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | लाभार्थी संख्या | उत्पन्न रूपये | | | | | | |
|------------|--------|-----------|--------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|--|
| | | | | ० ते १०००० १०००० | १०००१ ते १५००० १५००० | १५००१ ते २०००० २०००० | २०००१ ते २५००० २५००० | २५००१ ते ३०००० ३०००० | ३०००० व पुढे | |
| १. | पुणे | मावळ | ३५ | - | १ | ४ | ६ | ६ | ३६ | |
| | | खेड | २७ | १ | ५ | ८ | ६ | ४ | ३ | |
| | | आंबेगाव | १ | १ | ६ | १ | - | - | १ | |
| | | | एकूण | ७१ | २ | १२ | १२ | १३ | २० | |
| २. | रायगड | पनवेल | १० | १ | ७ | २ | - | - | - | |
| | | पेण | १७ | ७ | २ | ८ | - | - | - | |
| | | खालापूर | ६ | ४ | २ | - | - | - | - | |
| | | कर्जत | ११ | २ | ४ | ६ | १ | - | १ | |
| | | एकूण | ४८ | १४ | १५ | १७ | १ | - | १ | |
| ३. | ठाणे | शहापूर | २३ | १५ | ३ | ५ | - | - | - | |
| | | जळ्हार | ११ | १ | ६ | ४ | - | - | - | |
| | | एकूण | ३४ | १६ | १ | १ | - | - | - | |
| ४. | नाशिक | अंबकेश्वर | ३० | १२ | १३ | ४ | १ | - | - | |
| | | पेठ | १५ | ४ | १ | २ | - | - | - | |
| | | एकूण | ४५ | १६ | २२ | ६ | १ | - | - | |
| | | | एकंदर एकूण | १९८ | ४८ | ५८ | ४६ | १३ | २१ | |
| | | | टक्केवारी | १०० | २४ | २९ | २३ | ८ | १० | |

वरील तक्त्यावरुन असे दिसून येते की, दहा ते पंधरा हजार उत्पन्न असणारे सर्वात जास्त म्हणजे ५८ (२९%) लाभार्थी असून त्याखालोखाल दहा हजारापर्यंत उत्पन्न असणारे ४८ (२४%) लाभार्थी आहेत. तर पंचवीस ते तीस हजारापर्यंत उत्पन्न असणारे सर्वात कमी म्हणजे ११ (६%) लाभार्थी आहेत.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत इंदिरा आवास घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात आलेला आहे. अशा लाभार्थ्यांचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे आहे.

तक्ता क्र.४.८ (ब)

लाभार्थ्यांचे उत्पन्नानुसार वर्गीकरण

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | लाभार्थी संख्या | एकूण उत्पन्न रूपये | | | | | |
|---------|-----------|------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | ० ते १०००० रुपये | १०००१ ते १५००० रुपये | १५००१ ते २०००० रुपये | २०००१ ते २५००० रुपये | २५००१ ते ३०००० रुपये | ३०००० वर्षे पुढे |
| १. | पुणे | खेड | १ | १ | - | - | - | - | - |
| | | आंबेगांव | ११ | - | ६ | १ | १ | - | ३ |
| | | एकूण | १२ | १ | ६ | १ | १ | - | ३ |
| २. | रायगड | पनवेल | - | - | - | - | - | - | - |
| | | एकूण | - | - | - | - | - | - | - |
| ३. | ठाणे | शहापूर | ८ | ४ | ४ | - | - | - | - |
| | | जळ्हार | १ | - | - | १ | - | - | - |
| | | वाढा | ३ | १ | - | २ | - | - | - |
| | | डहाणू | २० | ६ | १ | ४ | - | - | - |
| | | एकूण | ३२ | १२ | १३ | ७ | - | - | - |
| ४. | नाशिक | चृंबकेश्वर | १ | १ | - | - | - | - | - |
| | | एकूण | १ | १ | - | - | - | - | - |
| | | एकंदर एकूण | ४६ | १४ | ११ | ८ | १ | - | ३ |
| | टक्केवारी | १०० | ३१ | ४२ | १८ | २ | - | - | ६ |

एकूण ४६ लाभार्थीपैकी ११ (४२%) लाभार्थी दहा ते पंधरा हजार उत्पन्न असणारे आहेत. त्याखालोखाल १४ (३१%) लाभार्थी दहा हजारापर्यंत उत्पन्न असणारे आहेत. तर सर्वात कमी म्हणजे १ (२%) लाभार्थी तीस ते पंचवीस हजार रुये उत्पन्न असणारा आहे.

४.९ लाभधारकांनी धारण केलेली जमीन :-

प्रकल्प कार्यालयामार्फत घरकुले वाटप करण्यात आलेल्या १९८ लाभधारकाचे जमीनधारणेनुसार वर्गीकरण धारण केलेली जमीन खालीलप्रमाणे आहे.

तक्ता क्र.४.९ (अ)

लाभधारकांचे जमिन धारणेनुसार वर्गीकरण

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | लाभार्थी संख्या | धारण केलेली जमीन | | | | | | | | | |
|------------|--------|------------|--------------------|------------------|----|--------|----|------------------|----|-----|----|------|----|
| | | | | मालकीची | | खंडाची | | जंगल खात्याची | | इतर | | एकूण | |
| | | | | एक र | आर | एकर | आर | एकर | आर | एकर | आर | एकर | आर |
| ३. | पुणे | मावळ | ३५ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | खेड | २७ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | आंबेगांव | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | एकूण | ६३ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| २. | रायगड | पनवेल | १० (२) | २ | - | - | - | - | - | - | - | २ | - |
| | | पेण | १७ (३) | ३ | १० | - | - | - | - | - | - | ३ | ३० |
| | | खालापूर | ६ | ६ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | कर्जत | १५ (२) | - | २० | - | - | १ | २० | - | - | २ | - |
| | | एकूण | ४८ (७) | ५ | ३० | - | - | १ | २० | - | - | ६ | ३० |
| ३. | ठाणे | शहापूर | २३ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | जळळार | ११ (२) | ४ | - | - | - | - | - | - | - | ४ | ० |
| | | एकूण | ३४ (२) | ४ | - | - | - | - | - | - | - | ४ | - |
| ४. | नाशिक | अंबकेश्वर | ३० (५) | ५ | - | - | - | ५ | - | - | - | ३० | - |
| | | पेठ | १५ (६) | - | - | - | - | ८ | - | - | - | ८ | - |
| | | एकूण | ४५ (११) | ५ | - | - | - | १३ | - | - | - | ३८ | - |
| | | एकंदर एकूण | १९८ (२०) | १४ | ३० | - | - | १४ | २० | - | - | २९ | ३० |

टीप- कंसातील आकडे जमीनधारक लाभार्थ्याचे आहेत.

वरील तक्त्यावरुन असे दिसून येते की, पुणे जिल्ह्याध्ये ७३ लाभधारक आहेत. त्यांच्याकडे कोणाकडेही जमीन नाही, रायगड जिल्ह्यामधील ७ लाभधारकांकडे ७

एकर १० आर जमीन आहे. ठाणे जिल्ह्यामधील २ लाभधारकाकडे ४ एकर जमीन आहे, तर नाशिक जिल्ह्यातील ११ लाभधारकांकडे १८ एकर जमीन असल्याचे दिसून येते.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडील लाभधारकांनी धारण केलेली जमीन पुढील तक्त्यामध्ये दर्शविलेली आहे.

तक्ता क्र.४.९ (ब)

लाभधारकांचे जमिन धारणेनुसार वर्गीकरण

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | लाभार्थी संख्या | धारण केलेली जमीन | | | | | | | |
|------------|--------|-----------|--------------------|------------------|--------|------------------|-----|---|------|---|---|
| | | | | मालकीची | खंडाची | जंगल खात्याची | इतर | | एकूण | | |
| १. | पुणे | खेड | १ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | अंबिगांव | ३१ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | एकूण | ३२ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| २. | रायगड | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | एकूण | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ३. | ठाणे | शहापूर | ८ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | जळ्हार | १ (१) | १ | - | - | - | - | - | - | १ |
| | | वाढा | ३ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | डहाणू | २० (२) | १ | - | २ | - | - | - | - | २ |
| | | एकूण | ३२ (३) | २ | - | २ | - | - | - | - | ४ |
| ४. | नाशिक | चंबकेश्वर | १ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | एकूण | १ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| एकंदर एकूण | | | ४५ (३) | २ | - | २ | - | - | - | - | ४ |

टीप- कंसातील आकडे जमीनधारक लाभार्थ्याचे आहेत.

एकूण ३ जिल्ह्यातील धारकापैकी पुणे व नाशिक जिल्ह्यातील लाभधारकाकडे जमीन नाही. रायगड जिल्ह्यामध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माहितीअभावी लाभधारकांचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही. फक्त ठाणे जिल्ह्यातील ३ लाभधारकांकडे ४ एकर जमीन असल्याचे दिसून येते.

४.३० लाभधारकाकडील पशुधन :-

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाने वाटप केलेल्या घरकुल लाभार्थ्यांकडे असलेल्या पशुधनाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

तक्ता क्र.४.३० (अ)

लाभार्थ्यांकडील पशुधन संख्या

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | लाभार्थी संख्या | पशुधन संख्या | | | | | |
|------------|--------|------------|--------------------|--------------|-------|------|-----|--------|---------|
| | | | | गाई | म्हशी | रेडे | बैल | शेळ्या | कोबड्या |
| १. | पुणे | मावळ | ३५ | - | - | - | - | - | - |
| | | खेड | २७ | - | - | - | - | ३ | २ |
| | | आंबेगांव | ९ | - | - | - | - | ७ | ८ |
| | | एकूण | ७१ | - | - | - | - | १० | १० |
| २. | रायगड | पनवेल | १० | - | - | - | - | - | - |
| | | पेण | १६ | - | - | - | - | २ | - |
| | | खालापूर | ६ | - | - | - | - | - | - |
| | | कर्जत | १५ | - | - | - | - | १२ | ३४ |
| | | एकूण | ४८ | - | - | - | - | ३४ | ३४ |
| ३. | ठाणे | शहापूर | २३ | - | - | - | - | - | - |
| | | जळकार | ३३ | - | - | - | २ | - | १ |
| | | एकूण | ३४ | - | - | - | २ | - | १ |
| ४. | नाशिक | चंबकेश्वर | ३० | ४ | - | - | ३ | ३३ | ३० |
| | | पेठ | १५ | - | - | - | ३ | - | २ |
| | | एकूण | ४५ | ४ | - | - | ४ | ३३ | ३२ |
| | | एकंदर एकूण | १९८ | ४ | - | - | ६ | ३५ | १६७ |

एकूण १९८ लाभधारकाकडे फक्त ४ गाई, ६ बैल, ३५ शेळ्या व ७७ कोबड्या एवढेच पशुधन असल्याचे दिसून आले आहे. पुणे व रायगड जिल्ह्यातील एकाही लाभधारकाकडे गाई व बैल नाहीत.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या लाभधारकाडे असलेले पशुधन याची माहिती
पुढीलप्रमाणे-

तक्ता क्र.४.३० (ब)

लाभार्थ्यांकडील पशुधन संख्या

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | लाभार्थी संख्या | पशुधन संख्या | | | | | |
|------------|--------|-----------|--------------------|--------------|-------|------|-----|--------|----------|
| | | | | गाई | म्हशी | रेडे | बैल | शेळ्या | कोंबड्या |
| १. | पुणे | खेड | १ | - | - | - | - | - | - |
| | | | आंबेगांव | ११ | - | - | - | १५ | ३ |
| एकूण | | | १२ | - | - | - | - | १५ | ३ |
| २. | रायगड | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | एकूण | - | - | - | - | - | - | - |
| ३. | ठाणे | शहापूर | ८ | - | - | - | - | २ | - |
| | | जव्हार | १ | - | - | - | २ | ३ | ५ |
| | | वाडा | ३ | - | - | - | - | - | - |
| | | डहाणू | २० | - | - | - | १ | - | - |
| एकूण | | | ३२ | - | - | - | ३ | ५ | ५ |
| ४. | नाशिक | चंबकेश्वर | १ | - | - | - | - | - | - |
| | | एकूण | १ | - | - | - | - | - | - |
| एकंदर एकूण | | | ४६ | - | - | - | ३ | २० | ८ |

एकूण ४६ लाभधारकाकडे ३ बैल, २० शेळ्या व ८ कोंबड्या असल्याचे दिसून येते. बैल ठाणे जिल्ह्यातील लाभधारकाकडे आहेत. पुणे व नाशिक जिल्ह्यातील लाभधारकाकडे गाई, म्हशी, रेडे व बैल नसल्याचे दिसून येते.

४.११ न्हाणीघर, शौचालय व वीज सुविधा :-

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयामार्फत वाटप करण्यात आलेल्या घरकुलामध्ये न्हाणीघर, शौचालय व विद्युत सुविधा किंती घरामध्ये आहे, हे खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आलेले आहे.

तक्ता क्र. ४.११ (अ)

न्हाणीघर, शौचालय व विद्युत सुविधा दर्शविणारा तक्ता

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | लाभार्थी संख्या | न्हाणीघर | | शौचालय | | विद्युत व्यवस्था | | बांधकाम अपूर्ण |
|------------|--------|------------|--------------------|----------|------|--------|------|------------------|------|----------------|
| | | | | आहे | नाही | आहे | नाही | आहे | नाही | |
| १. | पुणे | मावळ | ३५ | - | - | - | - | - | - | ३५ |
| | | खेड | २७ | - | १ | - | १ | - | १ | २६ |
| | | आंबेगांव | १ | २ | - | - | २ | - | २ | ६ |
| | | एकूण | ७१ | २ | १ | - | ३ | - | ३ | ६८ |
| २. | रायगड | पनवेल | १० | - | ७ | - | ७ | १ | ६ | ३ |
| | | पेण | १७ | ३ | ७ | १ | ९ | - | १० | ६ |
| | | ग्वालापूर | ६ | ३ | ३ | १ | ५ | २ | ४ | - |
| | | कर्जत | १५ | ११ | ४ | - | १५ | २ | १३ | - |
| | | एकूण | ४८ | १७ | २१ | २ | ३६ | ५ | ३३ | १० |
| ३. | ठाणे | शहापूर | २३ | २ | २१ | - | २३ | २ | २३ | - |
| | | जळ्हार | ११ | ६ | ५ | - | ११ | २ | ९ | - |
| | | एकूण | ३४ | ८ | २६ | - | ३४ | ४ | ३० | - |
| ४. | नाशिक | चंबकेश्वर | ३० | २६ | ५ | ४ | २६ | - | ३० | - |
| | | पेठ | १५ | ८ | ७ | ३ | १२ | - | १५ | - |
| | | एकूण | ४५ | ३३ | १२ | ७ | ३८ | - | ४५ | - |
| | | एकंदर एकूण | १५८ | ६० | ६० | १ | १११ | १ | १११ | १०८ |
| | | टवक्केवारी | १०० | ५० | ५० | ८ | ९२ | ८ | ९२ | ३९ |

वाटप करण्यात आलेल्या १९८ घरकुलापैकी १२० (६१%) घरकुले पूर्ण स्वरूपात असून, ७८ (३९%) घरकुलांचे बांधकाम अपूर्ण अवस्थेत आहे. जी १२० घरकुले पूर्ण आहेत, त्यामध्ये लाभार्थी स्वतः राहत आहेत. तथापि, १२० पैकी ६० (५०%) घरकुलामध्ये न्हाणीघराची सुविधा आहे. तर ६० (५०%) घरकुलामध्ये न्हाणीघर

नाही. १२० पूर्ण घरकुलापैकी ९ (८%) घरकुलामध्ये शौचालय आहे. तर ३३३ (९२%) घरकुलामध्ये शौचालय नाही. तसेच १२० घरकुलापैकी ९ (८%) घरकुलामध्ये विद्युत व्यवस्था आहे. तर ३३३ (९२%) घरकुलामध्ये विद्युत व्यवस्था नसल्याचे आढळून आलेले आहे.

पुणे जिल्ह्यातील ७३ घरकुलापैकी फक्त ३ (४%) घरकुले पूर्ण असून, ६८ (९६%) घरकुलाचे बांधकाम अपूर्ण आहे. रायगड जिल्ह्यातील एकूण ४८ घरकुलापैकी ३८ (७९%) घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण असून १० (२१%) घरकुलाचे बांधकाम अपूर्ण असल्याचे निर्दर्शनास आले आहे तर ठाणे व नाशिक जिल्ह्यातील सर्व घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण असून लाभार्थी त्या घरकुलाचा वापर करीत आहेत.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत वाटप करण्यात आलेल्या ४५ इंदिरा आवास घरकुलांची न्हाणीघर, शौचालय व विद्युत व्यवस्थेबाबतची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे.

तक्ता क्र. ४.३३ (ब)

न्हाणीघर, शौचालय व विद्युत सुविधा दर्शविणारा तक्ता

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | लाभार्थी संख्या | न्हाणीघर | | शौचालय | | विद्युत व्यवस्था | | बांधकाम अपूर्ण |
|------------|--------|-----------|-----------------|----------|------|--------|------|------------------|------|----------------|
| | | | | आहे | नाही | आहे | नाही | आहे | नाही | |
| १. | पुणे | खेड | ? | - | ? | - | ? | - | ? | - |
| | | आंबेगांव | ३३ | ३३ | - | ३३ | - | ३३ | - | - |
| एकूण | | | | १२ | ११ | ३ | ३३ | १ | ३३ | १ |
| २. | रायगड | पनवेल | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | एकूण | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ३. | ठाणे | शहापूर | ८ | ६ | २ | १ | ७ | १ | ७ | - |
| | | जाळार | १ | १ | - | - | १ | १ | - | - |
| | | वाडा | ३ | - | २ | - | २ | - | २ | १ |
| | | डहाणू | २० | २० | - | - | २० | - | २० | - |
| | | एकूण | ३२ | २७ | ८ | १ | ३० | २ | २९ | १ |
| ४. | नाशिक | अंबकेश्वर | १ | - | ? | - | १ | - | १ | - |
| | | एकूण | ? | - | ? | - | ? | - | ? | - |
| एकंदर एकूण | | | ४३ | ३८ | ६ | १२ | ३२ | १३ | ३१ | १ |

एकूण ४५ घरकुलापैकी ४४ (९८%) घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण असून फक्त १ (२%) घरकुलाचे बांधकाम चालू असल्याचे निर्दर्शनास आले आहे.

पुणे व नाशिक जिल्ह्यातील वाटप करण्यात आलेल्या सर्व घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण आहे. लाभार्थी घरकुलांचा वापर करतात. तर ठाणे जिल्ह्यातील एकूण ३२ घरकुलापैकी ३१ घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण असून वाढा तालुक्यातील पाली या गांवचे एका घरकुलाचे (२००५-०६ या वर्षामध्ये मंजूर करण्यात आले आहे.) बांधकाम चालू असल्याचे निर्दर्शनास आले आहे.

४.१२ घरकुलाचे जागेची मालकी कोणाची आहे :-

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पमार्फत वाटप करण्यात आलेल्या व बांधकाम करण्यात आलेल्या घरकुलाच्या जागेची मालकी कोणाची आहे, ते खालील तक्त्यामध्ये दर्शविण्यात आलेले आहे.

तक्ता क्र.४.१२ (अ)

घरकुलांचे जागेच्या मालकीनुसार वर्गीकरण

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | लाभार्थी संख्या | घराचे जागेची मालकी | | | जागेअभावी. घरकुलाचे बांधकाम नाही |
|---------|--------|-------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | | | स्वतःची | ग्रामपंचायतीची | बक्षिसपत्र करून मिळालेली | |
| १. | पुणे | मावळ | ३५ | - | - | ३५ | - |
| | | खेड | २७ | - | - | २७ | - |
| | | आंबेगांव | ९ | ४ | - | - | ५ |
| | | एकूण | ७१ | ४ | - | ६२ | ५ |
| २. | रायगड | पनवेल | ३० | ९ | ९ | - | - |
| | | पेण | १७ | ६ | ११ | - | - |
| | | खालापूर | ६ | - | ६ | - | - |
| | | कर्जत | १५ | - | १५ | - | - |
| | | एकूण | ४८ | १५ | ३३ | - | - |
| ३. | ठाणे | शहापूर | २३ | २ | २१ | - | - |
| | | जळ्हार | ११ | - | ११ | - | - |
| | | एकूण | ३४ | २ | ३२ | - | - |
| ४. | नाशिक | न्यायकेश्वर | ३० | - | ३० | - | - |
| | | पेठ | १५ | - | १५ | - | - |
| | | एकूण | ४५ | - | ४५ | - | - |
| एकंदर | एकूण | | ११८ | २१ | ११० | ६२ | ५ |

वरील तक्त्यावरुन असे दिसून येते की, एकूण ११८ घरकुलापैकी २१ (११%) घरकुले लाभार्थीच्या स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर, ११० (५६%) घरकुले

ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जागेवर, तर ६२ (३१%) घरकुले इतर लोकांनी बक्षिसपत्र करून दिलेल्या जागेवर बांधण्यात आलेली आहेत. तर ५ (२%) घरकुले जागेअभावी बांधण्यात आलेली नाहीत. ती ५ घरकुले पुणे जिल्ह्यातील आहेत.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या ४५ घरकुलांची मालकी कोणाची आहे, ते खालील तक्त्यामध्ये दर्शविण्यात आलेले आहे.

तक्ता क्र. ४.१२ (ब)

घरकुलांचे जागेच्या मालकीनुसार वर्गीकरण

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | लाभार्थी संख्या | घराचे जागेची मालकी | | | जागेअभावी. घरकुलाचे बांधकाम नाही |
|------------|--------|--------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|--|
| | | | | खवतःची | ग्रामपंचायतीची | बक्षिसपत्र करून मिळालेली | |
| १. | पुणे | खेड | १ | - | - | - | १ |
| | | आंबेगाव | ११ | - | ११ | - | - |
| एकूण | | | १२ | - | ११ | १ | - |
| २. | रायगड | - | - | - | - | - | - |
| | | एकूण | - | - | - | - | - |
| ३. | ठाणे | शहापूर | ८ | - | ८ | - | - |
| | | जव्हार | १ | - | १ | - | - |
| | | वाढा | ३ | - | ३ | - | - |
| | | डहाणू | २० | - | २० | - | - |
| | | एकूण | ३२ | - | ३२ | - | - |
| ४. | नाशिक | त्रिंबकेश्वर | १ | - | १ | - | - |
| एकूण | | | १ | - | १ | - | - |
| एकंदर एकूण | | | ४६ | - | ४४ | १ | - |

वरील तक्त्यावरून असे दिसून येते की, एकूण ४५ घरकुलापैकी ४४ (९८%) घरकुले ग्रामपंचायतीच्या जागेवर तर १ (२%) घरकुल बक्षिसपत्र करून मिळालेल्या जागेवर बांधण्यात आलेले आहे. बक्षिसपत्र करून मिळालेल्या जागेवर बांधलेले घरकुल खेड तालुक्यातील आळाट या गांवामधील आहे.

४.१३ घरकुलाचे छत कोणत्या प्रकारचे आहे :-

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत वाटप करण्यात आलेल्या १९८ घरकुलांचे छत कशाप्रकारचे आहे, उदा. कौलाचे, पत्राचे, स्लॅबचे की, गवताचे याची माहिती खालील तक्त्यामध्ये दर्शविण्यात आलेली आहे.

तक्ता क्र. ४.१३ (अ)

घरकुलाचे छताच्या प्रकारानुसार वर्गीकरण

| आ. क्र. | जिल्हा | तालुका | लाभार्थी संख्या | पत्रे | कौले | स्लॅब | गवताचे छप्पर | बांधकाम पूर्ण नाही | बांधकाम सुरु नाही |
|------------|--------|---------------|--------------------|-------|------|-------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| १. | पुणे | मावळ | ३५ | ३५ | - | - | - | - | - |
| | | खोड | २७ | १ | - | - | - | २१ | ५ |
| | | आंबेगांव | ९ | २ | - | - | - | २ | ५ |
| एकूण | | | ७१ | ३८ | - | - | - | २३ | १० |
| २. | रायगड | पनवेल | १० | १ | ७ | - | - | - | २ |
| | | पेण | १६ | १० | - | - | - | ३ | ४ |
| | | खालापूर | ६ | ६ | - | - | - | - | - |
| | | कर्जत | १५ | ३४ | १ | - | - | - | - |
| | | एकूण | ४८ | ३१ | ८ | - | - | ३ | ६ |
| ३. | ठाणे | शहापूर | २३ | - | २३ | - | - | - | - |
| | | जळहार | ११ | १० | १ | - | - | - | - |
| एकूण | | | ३४ | ३० | २४ | - | - | - | - |
| ४. | नाशिक | त्र्यंबकेश्वर | ३० | - | २८ | - | २ | - | - |
| | | पेठ | १५ | - | १४ | - | १ | - | - |
| | | एकूण | ४५ | - | ४२ | - | ३ | - | - |
| एकंदर एकूण | | | १९८ | ७९ | ७४ | - | ३ | २६ | १६ |

वरील तक्त्यावरुन असे दिसून येते की, एकूण १९८ घरकुलापैकी ७९ (४० %), घरकुलाचे छत पत्राचे, ७४ (३७%) घराचे छत कौलारू, ३ (२%) घरकुलाचे छत गवताचे आहे. तर बांधकाम पूर्ण न झालेली घरकुले २६ (१३), तर बांधकाम सुरु न केलेली १६ (८%) घरकुले आहेत.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून मंजूर करून वाटप करण्यात आलेल्या इंदिरा आवास घरकुलांचे छप्पर कशाप्रकारचे आहे, हे खालील तक्त्यामध्ये दिलेले आहे.

तक्ता क्र.४.१३ (ब)

घरकुलाचे छताच्या प्रकारानुसार वर्गीकरण

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | लाभार्थी संख्या | पत्रे | कौले | स्लॅब | गवताचे छप्पर | बांधकाम पूर्ण नाही | बांधकाम सुरु नाही |
|------------|--------|---------------|--------------------|-------|------|-------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| १. | पुणे | झोड | १ | १ | - | - | - | - | - |
| | | आंबेगांव | ११ | ११ | - | - | - | - | - |
| | | एकूण | १२ | १२ | - | - | - | - | - |
| २. | रायगड | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | एकूण | - | - | - | - | - | - | - |
| ३. | ठाणे | शहापूर | ८ | ४ | ४ | - | - | - | - |
| | | जळहार | १ | - | १ | - | - | - | - |
| | | वाडा | ३ | - | २ | - | - | १ | - |
| | | डहाणू | २० | २० | - | - | - | - | - |
| | | एकूण | ३२ | २४ | ६ | - | - | १ | - |
| ४. | नाशिक | त्र्यंबकेश्वर | ३ | - | ३ | - | - | - | - |
| | | एकूण | १ | - | १ | - | - | - | - |
| | | एकूण | ४३ | ३६ | ८ | - | - | १ | - |

वरील तक्त्यावरुन असे निर्दर्शनास येते की, एकूण ४५ इंदिरा आवास घरकुलापैकी ३६ (८०%) घरकुलांचे छत पत्राचे आहे., ८ (१८%) घरकुलांचे छत कौलारु आहे. तर एका घरकुलांचे बांधकाम (पाली, ता.वाडा) सध्या चालू असल्याचे दिसून आले आहे, त्यावर अद्याप छत पडणे बाकी आहे.

४.१४ घरकुलांचे बांधकामामध्ये लाभार्थ्यांचा सहभाग :-

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत वाटप करण्यात आलेल्या १९८ घरकुलांचे बांधकामामध्ये लाभार्थ्यांने स्वतःचा सहभाग कशाप्रकारे (आर्थिक / मजूरीच्या स्वरूपात) केला आहे, ते खालील तक्त्यामध्ये दर्शविण्यात आलेले आहे.

तवता क्र. ४.१४ (अ)

लाभार्थ्याच्या सहभागाचे वर्गीकरण

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | लाभार्थी संख्या | लाभार्थ्याचा सहभाग | | घराचे काम सुरु नाही. |
|------------|--------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | श्रमदान | आर्थिक स्वरूपात | |
| १. | पुणे | मावळ | ३५ | ३३ | - | - |
| | | खेड | २७ | २२ | - | ५ |
| | | आंबेगांव | ९ | ४ | - | ५ |
| एकूण | | | ७१ | ६१ | - | ३० |
| २. | रायगड | पनवेल | १० | ८ | - | २ |
| | | पेण | १६ | १३ | - | ४ |
| | | खालापूर | ६ | ६ | - | - |
| | | कर्जत | १५ | १५ | - | - |
| | | एकूण | ४८ | ४२ | - | ६ |
| ३. | ठाणे | शहापूर | २३ | २३ | - | - |
| | | जळ्हार | ३३ | ३३ | - | - |
| | | एकूण | ५६ | ५६ | - | - |
| ४ | नाशिक | चंबकेश्वर | ३० | ३० | - | - |
| | | पेठ | १५ | १५ | - | - |
| एकूण | | | ४५ | ४५ | - | - |
| एकंदर एकूण | | | १९८ | १८२ | - | १६ |

वरील तक्त्यावरुन असे दिसून येते की, एकूण १९८ लाभार्थ्यांपैकी १८२ (९२%) लाभार्थ्यांनी घरकुलाच्या बांधकामामध्ये श्रमदानाचे स्वरूपात मदत केलेली आहे. व १६ (८%) लाभार्थ्यांच्या घराचे काम अद्याप सुरु व्हावयाचे आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाकडून घरकुलाची सर्व रक्कम म्हणजे रु.३०,०००/- अनुदान स्वरूपात

देण्यात येतात. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेसारखे रु.२८,५००/- अनुदान व रु.१५००/- लाभार्थ्याचा स्वतःचा हिस्सा असे एकूण रु.३०,०००/- मंजूर करण्यात येत नाही. त्यामुळे बांधकाम पूर्ण झालेल्या सर्व लाभधारकांनी श्रमदानाचे स्वरूपात मदत केलेली आहे.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण ४५ घरकुलांची लाभार्थ्याचा सहभाग/हिस्सा यांची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे.

तवक्ता क्र. ४.१४ (ब)

लाभार्थ्याच्या सहभागाचे वर्गीकरण

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | लाभार्थी संख्या | लाभार्थ्याचा सहभाग | | घराचे काम सुरु नाही. |
|---------|--------|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | श्रमदान | आर्थिक स्वरूपात | |
| १. | पुणे | खेड | १ | १ | १ | - |
| | | आंबेगांव | ११ | ११ | - | - |
| | | एकूण | १२ | १२ | १ | - |
| २. | रायगड | - | - | - | - | - |
| | | एकूण | - | - | - | - |
| ३. | ठाणे | शहापूर | ८ | ८ | १ | - |
| | | जळ्हार | १ | १ | - | - |
| | | वाढा | ३ | ३ | - | - |
| | | डळाण | २० | २० | - | - |
| | | एकूण | ३२ | ३२ | १ | - |
| ४ | नाशिक | चंबकश्वर | १ | १ | - | - |
| | | एकूण | १ | १ | - | - |
| | | एकदर एकूण | ४५ | ४५ | २ | - |

एकूण ४५ लाभधारकांपैकी सर्वच म्हणजे ४५ लाभधारकाची अनुदानाचे स्वरूपात बांधकामामध्ये सहभाग केलेला आहे. तर खेड तालुक्यातील एक व शहापूर तालुक्यातील एक लाभधारकाने श्रमदान केलेले आहे व शिवाय आर्थिक स्वरूपात खर्च केलेला असल्याचे निर्दर्शनास आले आहे.

आदिवासी विकास विभागांतर्गत कातकरी जमातीना बांधून घावयाच्या घरकुलाचे प्रत्यक्षात बांधकाम जिल्हा परिषद यंत्रणेकडून करण्यात येते. आदिवासी

विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून घरकुले मंजूर केली जातात. या मंजूर घरकुलास प्रती घरकुल रु.३००००/- प्रमाणे अनुदान जिल्हा परिषद यंत्रणेस वितरीत करण्यात येते.

अनुदान वितरणाची पद्धती वेगवेगळी असल्याचे निर्दर्शनास आले आहे. त्याची माहिती खालीलप्रमाणे-

| अ.क्र | जिल्हा | अनुदान वितरणाची पद्धत |
|-------|--------|---|
| १. | पुणे | एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेस अनुदानित वितरीत करण्यात येते. |
| २. | रायगड | एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना वितरीत करण्यात येते. |
| ३. | ठाणे | एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना देण्यात येते. |
| ४. | नाशिक | एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना देण्यात येते. |

इंदिरा आवास घरकुलांची किंमत रु.३००००/- निश्चित करण्यात आलेली आहे. सर्वसामान्य लाभधारकासाठी रु.१५००/- स्वहिस्सा, श्रमदान किंवा रोख रक्कमेच्या स्वरूपात घेण्यात येतो. परंतु आदिवासी लाभधारकांना प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून रु.३००००/- प्रती घरकुल वितरीत करण्यात आलेले आहे. घरकुल रु.३००००/- मध्ये पूर्ण होत नसल्यामुळे लाभधारकांकडून श्रमदान करून घरकुल पूर्ण करून घेतले असल्याचे दिसून येते.

* * *

प्रकरण क्र.५

सारांश

या मूल्यमापन पाहणीसाठी एकूण २४३ लाभार्थीची क्षेत्रीय पाहणी करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी १९८ लाभार्थी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत वाटप करण्यात आलेल्या घरकुलांचे आहेत तर ४५ लाभार्थी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत वाटप करण्यात आलेल्या इंदिरा आवास घरकुलांचे आहेत.

(१) बांधकामाचा खर्च :-

इंदिरा आवास घरकुल बांधकामाचा खर्च रु.३००००/- आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत घरकुल बांधकामासाठी रु.२८५००/- अनुदान दिले जाते व रु.१५००/- लाभार्थीचा स्वहिस्सा असतो. तो लाभार्थीने आर्थिक स्वरूपात किंवा श्रमदानाचे स्वरूपात करावयाचा असतो. तर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत बांधकामाचा संपूर्ण खर्च रु.३००००/- अनुदान स्वरूपात दिला जातो.

(२) घरकुलामधील न्हाणीघर, शौचालय व विद्युत पुरवठा सुविधा :-

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत वाटप करण्यात आलेल्या १९८ घरकुलापैकी १२० घरकुले बांधून पूर्ण आहेत. तर ७८ घरकुलांचे बांधकाम अपूर्ण अवस्थेत आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत वाटप करण्यात आलेल्या एकूण ४५ घरकुलापैकी ४४ घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण असून एका घरकुलाचे बांधकाम अपूर्ण आहे.

(३) बांधकामाबाबतची सद्यस्थिती :-

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत वाटप करण्यात आलेल्या व बांधकाम पूर्ण झालेल्या एकूण १२० घरकुलापैकी ६० घरकुलांमध्ये न्हाणीघर आहे. तर ६० घरकुलामध्ये न्हाणीघर नसल्याचे दिसून आले आहे. तर १२० पूर्ण घरकुलापैकी ९ घरकुलामध्ये शौचालये व विद्युत व्यवस्थेची सुविधा आहे तर १११ घरकुलांमध्ये शौचालय व विद्युत व्यवस्था सुविधा उपलब्ध नाही.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत वाटप करण्यात आलेल्या ४५ घरकुलापैकी ४४ घरकुले पूर्ण असून, ४४ घरकुलापैकी ३८ घरकुलामध्ये न्हाणीघर आहे तर ६ घरकुलामध्ये न्हाणीघर नसल्याचे दिसून आले आहे. पूर्ण ४४ घरकुलापैकी १२ घरकुलांना शौचालयाची सुविधा उपलब्ध आहे तर ३२ घरकुलांना शौचालयाची सुविधा

उपलब्ध नाही. तसेच ४४ पूर्ण घरकुलापैकी १३ घरकुलामध्ये विद्युत व्यवस्थेची सुविधा उपलब्ध आहे तर ३१ घरकुलामध्ये विद्युत व्यवस्थेची सुविधा उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले आहे.

(४) घरकुलाचे जागेची मालकी :-

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत वाटप करण्यात आलेल्या १९८ घरकुलापैकी २१ घरकुलांची जागा लाभार्थ्याचे स्वतःचे मालकीची आहे. ११० घरकुलांची जागा ग्रामपंचायतीनी लाभधारकांना दिलेली आहे. तर ६२ घरकुलांची जागा त्रयस्थ व्यक्तींनी लाभधारकांना बक्षिसपत्र करून दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे ५ घरकुलांचे बांधकाम जागेअभावी सुरु करता आलेली नाही.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या ४५ घरकुलापैकी ४४ घरकुलांची जागा ग्रामपंचायतीनी लाभधारकांना दिलेली आहे. तर एका लाभधारकास जागा त्रयस्थ व्यक्तीने बक्षिसपत्र करून दिलेली आहे.

(५) घरकुलांचे छत :-

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत वाटप करण्यात आलेल्या १९८ घरकुलापैकी ७९ घरकुलांचे छत पत्र्याचे, ७४ घरकुलांचे छत कौलारू, तर ३ घरकुलांचे छत गवती छपरांचे आहे तर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या ४५ घरकुलापैकी ३६ घरकुलांचे छत पत्र्यांचे आहे व ८ घरकुलांचे छत कौलारू असल्याचे आढळून आलेले आहे.

* * *

प्रकरण ६
अडचणी व शिफारशी

मूल्यमापन पाहणीचे क्षेत्रीय काम करताना लाभधारकांकडून घेण्यात आलेली माहिती, लाभधारकांशी व संबंधित गांवातील सामाजिक कार्यकर्ते यांचेशी केलेली चर्चा यावरुन योजना अंमलबजावणीत आढळून आलेल्या अडचणी आणि त्या अनुषंगाने असलेल्या उपाययोजना यांची माहिती खालीलप्रमाणे-

(१) घरकुलासाठीची जागा :-

सर्वेक्षण करण्यात आलेला लाभार्थी हा आदिम जमातीपैकी (कातकरी) असल्यामुळे, कातकरी लोकांच्याकडे शासनाकडून मंजूर झालेले घरकुल बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही व जागा विकत घेण्याची त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुध्दा नाही.

यावर उपाय म्हणून संबंधित गांवातील ग्रामसेवक व सरपंच यांनी ग्रामपंचायतीच्या मालकीची जागा उदा.गावठाण, गायरान यातील जागा या लाभधारकांना उपलब्ध करून घावी. एखाद्या गांवामध्ये गावठाण किंवा गायरान नसेल तेथे ज्यांच्याकडे जमीन आहे, त्या जमीनधारकास या लाभार्थ्याना घरकुल बांधण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन बक्षीसपत्र करून उपलब्ध करून देण्यास उद्युक्त करावे. घरकुलासाठी जागा उपलब्ध झाल्यानंतरच घरकुल मंजूर करण्यात यावे, जेणेकरून घरकुल मंजूर झाल्यानंतर त्वरीत बांधकाम करणे सोयीचे होईल.

(२) घरकुलाचे कच्चे बांधकाम :-

क्षेत्रीय पाहणीमध्ये असे निर्दर्शनास आले आहे की, बरीच घरकुले पॉस्टर विना कच्च्या स्वरूपात आहेत. घरकुलाचे काम पूर्ण झालेले नाही तरी लाभार्थी घरकुलामध्ये राहतात. याविषयी चौकशी केली असता, असे सांगण्यात आले की, शासनाने मंजूर केलेल्या अनुदानामध्ये घरकुलाचे बांधकाम, बांधकाम साहित्याच्या किंमतीमध्ये भरमसाठ वाढ झाल्यामुळे मंजूर अनुदानाच्या रक्कमेमध्ये शासनाच्या निकषाप्रमाणे घराचे बांधकाम पूर्ण करणे शक्य होत नाही.

बांधकाम साहित्याच्या किंमती भरमसाठ वाढलेल्या असल्यामुळे शासकीय अनुदानात घरकुल पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यासाठी शासनाने घरकुल अनुदानाची मर्यादा वाढवून ती रु.३०,०००/- वरुन रु.६०,०००/- इतकी करावी. त्यामुळे

लाभधारकास शासनाच्या निकषाप्रमाणे घरकुल बांधणे सोयीचे होईल व घरकुलाची गुणवत्ता पण चांगली राहील.

(३) पायापर्यंतचे (जोत्यापर्यंतचे) बांधकाम करण्यासाठी अनुदानाचा हप्ता :-

लाभधारकाचे स्वतः घरकुलाचे बांधकाम करावयाचे असल्यामुळे लाभधारकाने पायापर्यंतचे काम केल्यानंतरच अनुदानाचा पहिला हप्ता दिला जातो. तेवढे काम करण्यासाठी पण कातकरी लोकांकडे पैसे नाहीत म्हणून त्यांचे घरकुलाचे काम अपूर्ण आहे.

कातकरी या आदिम जमातीच्या लोकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे योजना अंमलबजावणी करणाऱ्या कार्यालयांनी कातकरी जमातीसाठी या नियमांचा अपवाद करून कातकरी लोकांना घराचे बांधकाम सरु करतेवेळीच अनुदानाचा पहिला हप्ता मंजूर केला जावा व दिलेली रक्कम कातकरीकडून घराचे बांधकामावरच खर्च होते आहे किंवा नाही, यावर कटाक्षाने लक्ष दिले जावे.

(४) घराचा टिकाऊपणा :-

लाभार्थ्यांस घरकुल बांधण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आल्यामुळे काही तालुक्यामध्ये (उदा.जळ्हार व त्र्यंबकेश्वर) मोठमोठी घरकुले बांधलेली आहेत व घराच्या भिंती मातीच्या कच्च्या विटापासून बांधलेल्या आहेत. तर घराचे छप्पर गवतापासून बनविलेले आहे. तसेच जमीन शेणाने सारवून घेतलेली आहे. त्यामुळे घराचे आयुष्यमान कमी होण्याची शक्यता आहे.

काही तालुक्यामधील (ता.डहाणू) घरकुलांची पडळाड झाली असून, घरांना भेगा पडलेल्या आहेत. त्यामुळे ती घरकुले राहण्यायोग्य नसल्याचे निर्दर्शनास आले आहे.

घरकुलाचे आयुष्यमान वाढविण्यासाठी व घरकुल चांगले दिसण्याकरिता शासनाने मंजूर केलेल्या ढाच्याप्रमाणेच घरकुल बांधणे आवश्यक आहे व बांधकाम चालू असताना बांधकामामध्ये सिमेंट व रेतीचे प्रमाण योग्य ठेवून बांधकाम चालू असताना पुरेसे प्रमाणात बांधकामावर पाणी मारणे आवश्यक आहे.

(५) कातकरीसाठी घरकुल योजनेची माहिती नसणे :-

एकातिमिक आदिवासी विकास प्रकल्पाकडून कातकरी जमातीसाठी घरकुले मंजूर केली जातात, हे बच्याच गांवातील कातकरी लोकांना माहितीच नाही.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून इंदिरा आवास घरकुले मंजूर होतात, हे बच्याच लोकांना माहिती आहे. तथापि, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाकडून कातकरी या आदिम जमातीसाठी १००% अनुदानावर घरकुले मंजूर होतात, हे बच्याच गांवातील कातकरी लोकांना माहिती नसल्याचे निर्दर्शनास आले आहे. त्यासाठी या योजनेचा प्रकल्प कार्यालयामार्फत प्रचार व प्रसार करणे आवश्यक आहे.

* * *

प्रकरण क्र.७

निष्कर्ष

(१) कातकरी आदिवासी जमातींना योजनेचा झालेला फायदा :-

शासनाने विहित केलेल्या इंदिरा आवास घरकुल योजनेचा फायदा दारिद्रय रेषेखालील लोकांना चांगलाच झालेला आहे. लोक समाधानी असल्याचे दिसून आले आहे. तथापि, काही तालुक्यामध्ये विहित केलेल्या नियमाप्रमाणे घरकुल न बांधता, घरकुल बांधण्याचे लाभार्थ्यांस स्वातंत्र्य दिल्यामुळे लाभार्थ्यांनी त्यांना हवी तशी घरकुले बांधलेली आहेत. तर काही ठिकाणी घरकुले अल्पावधीतच मोडकळीस आल्याचे दिसून आले आहे. काही तालुक्यामध्ये घरकुलासाठी जागा उपलब्ध न झाल्यामुळे किंवा जागा उशिरा उपलब्ध झाल्यामुळे घरकुलांचे बांधकाम सुरु झालेले नाही किंवा अपूर्ण अवस्थेत आहे.

(२) कातकरी जमातीना किती लाभ झाला :-

इंदिरा आवास घरकुल योजना ही योजना केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार राज्य शासन राबवित असते. घरकुलाचे वाटप करताना अनुसूचित जाती/जमातींना ५० टक्के घरकुले वाटप केली जातात व ५० टक्के घरकुले दारिद्रय रेषेखालील बिगर मागासवर्गीय जातीच्या लोकांना मंजूर केली जातात.

आदिवासी विकास विभागामार्फत कातकरीसाठी घरकुल ही योजना सन २००३-०४ पासून इंदिरा आवास घरकुल योजनेच्या धर्तीवर सुरु करण्यात आली असून या योजनेमार्फत अनुसूचित जमातीमधील आदिम कातकरी या जमातीच्या लोकांनाच घरकुले मंजूर केली जातात. या योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या घरकुलापैकी रायगड, ठाणे व नाशिक या जिल्ह्यातील बरीच घरकुले बांधून पूर्ण झालेली आहेत. तथापि, पुणे जिल्ह्यातील घरकुले जागेअभावी अपूर्ण अवस्थेत असल्याचे दिसून आले आहे.

(३) योजना अंमलबजावणीमधील अडचणी :-

या योजनेमधील घरकुलाची किंमत फारच पूर्वी निश्चित केलेली आहे. त्यामुळे पूर्वी निश्चित केलेल्या किंमतीमध्ये सध्याच्या बांधकाम साहित्याच्या वाढत्या किंमतीमुळे घरकुलाचे बांधकाम शासनाने विहित केलेल्या नियमानुसार बांधणे शक्य होत नाही. त्यामुळे बरीच घरकुले अपूर्ण अवस्थेत आहेत. तरीही काही लाभार्थी सदर घरकुलामध्ये वास्तव्य करीत असल्याचे दिसून आले आहे. तर काही लोकांना घरकुल बांधण्यासाठी जागाच उपलब्ध होत नसल्यामुळे घरकुले मंजूर होऊनही काही घरकुलांचे बांधकाम अद्यापही सुरु झालेले नाही. तर काही गांवामध्ये गायरान, गावठाणामधील तसेच बक्षिसपत्राद्वारे जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्यानंतर उशिराने बांधकाम सुरु करण्यात आलेले आहे.

(४) वाटप करण्यात आलेल्या घरकुलाची स्थिती :-

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या व बांधकाम पूर्ण झालेल्या घरकुलाची स्थिती चांगली आहे. तसेच काही लाभार्थीनी स्वतः खर्च करून बांधकाम पूर्ण केलेले आहे. त्यांची स्थिती तर अधिक चांगली असल्याचे निर्दर्शनास आले आहे. काही लाभार्थी स्वतः खर्च करू शकत नाहीत, तेथे घरकुलाचे बांधकाम अपूर्ण आहे. तरी पण काही ठिकाणी लाभार्थी घरकुलामध्ये वास्तव्य करीत आहेत. काही गांवामध्ये जागेअभावी घरकुलाचे काम सुरु नाही तर काही गांवामध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लाभार्थीना ज्यांच्याकडे जागा आहे, त्यांच्याकडून बक्षिसपत्र करून जागा मिळवून दिलेली आहे. त्यामुळे तेथे बांधकाम उशिराने सुरु झाल्याचे निर्दर्शनास आले आहे. तर काही गांवामध्ये जागाच उपलब्ध नसल्यामुळे लाभार्थीना जागा मिळालेली नाही. उदा.जुने आंबेगांव, ता.आंबेगांव. त्यामुळे तेथील पाच लाभार्थीचे घरकुलाचे बांधकाम प्रलंबित आहे.

काही गांवामधील बांधून पूर्ण झालेल्या घरकुलांची पडझड झाली आहे. त्यामुळे ती घरकुले निवासासाठी योग्य राहिलेली नाहीत. (उदा.: कासा ता.डहाणू)

* * *

परिशिष्ट - एक

विशेष केंद्रीय सहाय्य अर्थ योजनेतून अनुसूचित /आदिम जमातीच्या कुटुंबांना पवके घरकूल बांधून देपवासाठी लाभाखर्च तळ्यांक व उपलब्ध निधीचे विवरणपत्र

अनुदान रु.लाखांत

| अ. क्र. | प्रकल्प कार्यालय | जिल्हा | आदिवासी विकास विभाग | | एकूण रुपांत्र | भौतिक माझाची गटदारगी उत्कर्षाची |
|------------|------------------|--------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|--|
| | | | शा.नि.दि.२९३०४ | शा.नि.दि.३०३०४ | शा.नि.दि.२९३०५ | शा.नि.दि.३०३०५ | शा.नि.दि.१९३०५ | शा.नि.दि.२०३०५ | शा.नि.दि.१९३०५ | शा.नि.दि.२०३०५ | | |
| १. | नाशिक | नाशिक | दिलोले | झालोले | दिलोले | झालोले | दिलोले | झालोले | दिलोले | झालोले | दिलोले | जिविष्य |
| २. | कोल्हापुर | | १९९ | ८३ | २९३३२ | ६३ | २९३२ | १४ | ११४ | ५०० | ० | ०.०० |
| ३. | ताळोदा | | ५५ | ५३ | १६५५० | ५५ | ५५ | ३५५० | ८३ | ० | २४९० | ०.०० |
| ४. | नंदूरमार | | १११ | १११ | २२३० | ११ | ११ | २७३० | ११० | ० | ४६०० | ०.०० |
| ५. | यायतल | | ८० | ४८ | २४०० | ६९ | ० | २०६० | ० | ०.०० | ०.०० | १५४ |
| ६. | रानुर | | ८८ | ४८ | १४०० | ८४ | १० | १०३५ | ६३ | ७३ | २२०० | १२४ |
| ७. | नाशिक विभाग एकूण | | २६ | २६ | ७६० | २६ | २६ | ७६० | ४४ | १० | १२०० | १२० |
| ८. | शहापुर | ठाणे | १११ | १११ | १२२३ | १११ | १११ | १०४३३१ | ५५४ | २७७ | १५५० | ८२०.५२ |
| ९. | जळदार | | १६२ | १६२ | ५१५० | १६२ | १६२ | ३६३० | १२१ | १२१ | ३६४० | १६२ |
| १०. | डताण | | १६२ | १६२ | ५१५० | १६२ | १६२ | ३६३० | १२१ | १२१ | ३६४० | १६२ |
| ११. | पेण | | १६२ | १६२ | ३३६६० | २६० | १६१ | ७६०० | २० | १२ | ३६४० | १६० |
| १२. | घोडगाव | | १५६ | १५६ | ४७६० | ७० | ४७ | २१०० | १४६ | १४६ | ४४०० | २५० |
| १३. | मुंचईचे उपनगर | | ० | ० | ०.०० | ० | ० | ०.०० | ० | ० | ०.०० | ० |
| १४. | ठाणे विभाग एकूण | | ११२३ | ११२६ | २४०६० | ११२ | ११२ | २०६१० | ४१४ | २१६ | २४१० | १२२३ |

**विशेष केंद्रीय संस्थाय अर्थ योजनेतृत्व अनुसूचित /आहिस जमातीच्या कुटुंबांना पक्के घरकुल बांधून देण्यासाठी लाभाची
तळ्यांक व उपलब्ध निधीचे विवरणपत्र**

अनुदान र.लाखांत

| क्र. | प्रकरण कार्यात्मक | जिल्हा | आदिवासी विकास विभाग शा.नि.दि.२१.३.०४ | | आदिवासी विकास विभाग शा.नि.दि.३०.३.०५ | | आदिवासी विकास विभाग शा.नि.दि.३१.३.०५ | | आदिवासी विकास विभाग शा.नि.दि.३१.३.०५ | |
|------|-------------------|-------------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | | | दिलेले उद्दिष्ट | दिलेले अनुदान | दिलेले साध्य | दिलेले अनुदान | दिलेले साध्य | दिलेले अनुदान | दिलेले उद्दिष्ट | दिलेले अनुदान |
| १३. | पांडुकराडा | वडा | ३८४ | ११५.२० | २२२ | ५६.७० | ११२ | ५६.६० | १४९ | २५६.५० |
| १४. | फिल्वाट | नादेड, हिंगोली, परमणी | ३२४ | १७.२० | ११५ | ५६.५० | २१६ | ५४.२५ | १०८ | २१५.२५ |
| १५. | द्यारापी | अमरशरी | १३ | १२ | ४.५० | १ | ११ | ३.३० | १२ | २०.०० |
| १६. | अकोला | अकोला, चार्चिन, चुलदापा | ४५ | ४५ | १२.५० | ३१ | १३.० | ५० | १८.०० | १५६ |
| १७. | ओंसाचाद | ओंसाचाद, चीड, लातुर, | १६० | १६० | ४८.०० | १०२ | ११.०० | ० | ०.०० | १२.०० |
| | | उमानवाढा, जालना | | | | | | | | १२.०० |
| | | अमरशरी विभाग एकूण | | | | | | | | १२.०० |
| १८. | चिंमुर | चंद्रपुर | ५२ | ५२ | १५.५० | ३८ | ६८ | २०.४० | ८६ | २५.९० |
| १९. | चंद्रपुर | | ११ | १० | ५.५० | १८ | ५.४५ | १२० | ३६.०० | ४५.३५ |
| २०. | गडविराती | गडविराती | १४४ | १४४ | ४३.८० | ८० | ० | २६.६० | १३६ | २१०.१० |
| २१. | अहमदी | | १२८ | १२८ | ३८.४० | ६८ | २९.६० | ६० | ३८.०० | ८८.०० |
| २२. | भासवगड | | १४२ | १४२ | ४२.५० | ८० | २४.०० | ० | ०.०० | १०० |
| २३. | नामापुर | नामापुर, वर्धा | ८६ | ८६ | २५.३० | ५९ | १७.६२ | ६८ | २०.०० | २१० |
| | | भंडारा, गोंदिया | | | | | | | | १०० |
| | | नामापुर विभाग एकूण | | | | | | | | १०० |
| | | महाराष्ट्र राज्य पक्षण | | | | | | | | १०० |

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे

कातकरी जमातीसाठी इंदिरा आवास/घरकुल योजनेतंगत किंती कुटूंबाना लाभ मिळाला
आहे याचे मूल्यमापन., सन २००६-०७

कुटूंबपत्रक

अ) कुटूंबाची ओळख :-

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| १. जिल्हा :- | २. तालुका :- |
| ३. गांव :- | ४. पाडा :- |
| ५. लाभधारकाचे नांव :- | ६. लिंग :- (पु / स्त्री) वय / वर्ष :- |
| ६. शिक्षण :- | ७. अनु.जमातीचे नांव :- कातकरी |
| ८. कुटूंबातील व्यक्तींची माहिती | |

| अ.क्र. | नांव | पु/स्त्री | वय | नाते | शिक्षण | व्यवसाय |
|--------|------|-----------|----|------|--------|---------|
| १. | | | | | | |
| २. | | | | | | |
| ३. | | | | | | |
| ४. | | | | | | |
| ५. | | | | | | |
| ६. | | | | | | |
| ७. | | | | | | |

९. लाभार्थी कुटूंब दारिद्र्य रेखेखाली आहे का ? १) होय २) नाही

१०. कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न :- एकूण रुपये.

| | | | | | | | |
|------------|-----|-----------------|-----|---|-----|----------|-----|
| अ) शेती | रु. | ब) शेतमजुरी | रु. | क) मजूरी | रु. | ड) नोकरी | रु. |
| इ) व्यवसाय | रु. | फ) दुग्धव्यवसाय | रु. | ग) इतर (मासेमारी / गवत विकणे / लाकूड फाटा विक्री) | | | रु. |

११. I) कुटूंबाचा प्रमुख व्यवसाय :-

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|----------|--|----------|--|------------|--|
| अ) शेती | | ब) शेतमजुरी | | क) मजूरी | | ड) नोकरी | | इ) व्यवसाय | |
| फ) दुधव्यवसाय | | ग) इतर (मासेमारी / गवत विकणे / लाकूड फाटा विक्री) | | | | | | | |

१२. II) दुधम व्यवसाय :-

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|----------|--|----------|--|------------|--|
| अ) शेती | | ब) शेतमजुरी | | क) मजूरी | | ड) नोकरी | | इ) व्यवसाय | |
| फ) दुधव्यवसाय | | ग) इतर (मासेमारी / गवत विकणे / लाकूड फाटा विक्री) | | | | | | | |

१३. लाभधारक जमिनधारक आहे काय ? होय / नाही

जमिनधारक असल्यास

| अ. क्र. | बाब | मालकीची हे.आर. | खंडाची हे.आर. | जंगल खात्याची हे.आर. | इतर हे.आर. | एकूण हे.आर. |
|---------|--------|----------------|---------------|----------------------|------------|-------------|
| १. | जिरायत | | | | | |
| २. | बागायत | | | | | |

१४. लाभधारकाकडे असलेले पशुधन संख्या

| अ. क्र. | बाब | गाई | म्हैस | रेडा | बैल | शेळ्या | कोंबड्या | इतर | एकूण संख्या |
|---------|--------------|-----|-------|------|-----|--------|----------|-----|-------------|
| १. | दुभती जनावरे | | | | | | | | |
| २. | भाकड जनावरे | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|--|--|--|----------|--------|--|--|
| १५. | लाभधारकाकडून दररोज केला जाणारा दुधाचा बापर | | | | | | | | |
| | I) स्वतःसाठी :- | लिटर | | | | | | | |
| | II) विक्रीसाठी :- | लिटर | | | | | | | |
| १६. | दुध विक्री कोठे केली जाते :- | १) दुध संकलन केंद्र | | | | २) हॉटेल | ३) इतर | | |
| १७. | गांवात / पाडयात दुध संकलन केंद्र आहे का ? | १) होय | | | | २) नाही | | | |

ब) घरकुल संबंधी माहिती :-

| | | | |
|-----|---|--------------------------|---------------------|
| १. | घरकुल मंजूर झाल्याचे वर्ष :- | तारीख | |
| २. | घरकुल कोणाकडून मंजूर झाले अ) एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेकडून ब) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून क) जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी / जिल्हापरिषद ड) इतर | | |
| ३. | घरकुलाच्या जागेची मालकी कोणाची आहे. I) घरकुलाचे बांधकाम स्वतः केले काय ? II) शासकीय यंत्रणेने बांधून दिले. III) ठेकेदाराकडून बांधून घेतले ? | स्वतःची / ग्रामपंचायतीची | १) होय २) नाही |
| ४. | घरकुल बांधणेसाठी झालेला एकूण खर्च रूपये | रूपये. | |
| ५. | घरकुलासाठी शासनाकडून मिळालेले अनुदान | रूपय. | |
| ६. | शासकीय रक्कम किती हप्त्यांत मिळाली | हप्ते संख्या | |
| ७. | बांधकाम किती चौरस फुट आहे ? | चौ.फुट | |
| ८. | एकूण खोल्यांची संख्या | एक / दोन | |
| ९. | घरकुलात न्हाणी घर आहे का ? | १) होय | २) नाही |
| १०. | घरकुलास शौचालय आहे का ? | १) होय | २) नाही |
| ११. | घरकुलामध्ये लाईटची सोय आहे का ? | १) होय | २) नाही |
| १२. | लाईटची सोय लाभधारकाने स्वतः केली कि ग्रामपंचायतीने केली. अ) लाईटची सोय नसेल तर घरकुलाजवळ लाईटचा पोल आहे काय ? ब) पोल असल्यास घरकुलापासून अंतर | लाभधारक/ग्रामपंचायत | १) होय २) नाही |
| १३. | शासनाचे अनुदानाशिवाय, घरमालकाने घरकुलासाठी स्वतः किती रक्कम खर्च केली. | रक्कम रु. | |
| १४. | १) आर्थिक स्वरूपात २) श्रमदानाचे स्वरूपात | | |
| १५. | घरकुलाचे छत पत्त्याचे आहे कि स्लॅबचे आहे ? | १) पत्त्याचे | २) स्लॅबचे |
| १६. | घरकुलाची जमिन कशा प्रकारची आहे ? | १) फरशी | २) कोबा |
| १७. | घरकुलाच्या भिंती कशा प्रकारच्या आहेत? | १) दगड | २) विटा |

| | | | |
|-----|--|----------|------------|
| १७. | घरकुलाचे ठिकाण गावामध्ये / गावाचे लगत आहे किंवा पाडयावर आहे. | १) गंव | २)पाडा |
| १८. | घरकुल गावांपासून दूर असल्यास त्याचे गावांपासूनचे अंतर | कि.मी. | |
| १९. | घरकुलामध्ये करमणूकीचे साधन आहे का ? | १) रेडिओ | २)टि.व्ही |
| २०. | कुटूंबात सायकल, मोटार सायकल यांचा वापर केला जातो का ? | १)सायकल | २)मो.सायकल |
| २१. | घरकुलाचे बांधकाम किती कालावधीमध्ये पुर्ण झाले. | १) वर्ष | २) महिने |

अ) घरकुलाचे अनुदान मिळण्यांस अडचणी आल्या काय ?

१) होय

२) नाही

ब) होय असल्यास अडचणीचे स्वरूप

१)

२)

३)

२२. अन्वेषकाचे अभिप्राय :-

(-----)

माहिती देणा-याचे नांव व स्वाक्षरी

ठिकाण :-

अन्वेषकाचे नांव -----

दिनांक :-

हुदा -----

